

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Combined discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 2 of 2020) and the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020. (Statutory Resolution-Withdrawn and Government Bill-Passed).

माननीय अध्यक्ष: आइटम 14 और 15 एक साथ लिए जा रहे हैं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी सांविधिक संकल्प पेश करें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"That this House disapproves of the Taxation and other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020 (Ordinance No.2 of 2020) promulgated by the President on 31 March, 2020."

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज। बुजुर्ग आप ही हैं, आप मास्क लगा लीजिए।

माननीय मंत्री जी।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move:

“That the Bill to provide for relaxation and amendment of provisions of certain Acts and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मार्च, 2020 को प्रख्यापित कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों पर छूट) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।”

और

“कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों को शिथिल करने और उनके संशोधन का उपबंध करने के लिए और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।”

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, normally, I used to go to the statutory resolution seeking the disapproval of Ordinance under Article 123(1) of the Constitution as no exigency or emergent extraordinary situations were prevailing. But, here in this Ordinance promulgation, I do have only formal objection regarding the promulgation of Ordinance under Article 123(1).

Yes, Sir, I do agree with the Government and the hon. Minister. The fact that there were certain exigencies and an emergent situation due to the outbreak of Novel Coronavirus, i.e. COVID-19 pandemic that resulted in lockdown. This Ordinance was

promulgated on 31st of March, 2020. Relaxation to certain provisions of the Act specified in the Ordinance related to direct taxes and indirect taxes is highly required as there is COVID-19 pandemic and an absolute lockdown was declared by the hon. Prime Minister. The people in the country are not able to comply with the provisions of tax laws due to lockdown. Therefore, some relaxations of extensions for the compliance of various provisions of tax laws are highly essential and, hence, there is a justification in the promulgation of Ordinance. I think that this is the first time in the House, I am justifying the promulgation of an Ordinance because I fully agree with the Government and the hon. Minister that there are certain contingencies, exigencies, and an extraordinary situation prevailing in the country because of the COVID-19 pandemic, whereby the people are not able to comply with the provisions of both direct taxation and indirect taxation laws.

But what is my objection, Sir? I do have a very strong objection to certain provisions in the Ordinance. I would like to highlight it. The Ordinance makes substantive amendments to eight different Acts. It may kindly be noted that eight different Acts being modified means substantial changes took place in eight Acts and one of the major Acts is the Income Tax Act of 1961. Regarding Section 4 of the Ordinance, I would like to explain it as it is dealing with the PMCARES Fund. Sir, yesterday also, during the time of introduction of the Bill, this matter was elaborately discussed by the House. I need not repeat the arguments or nuances raised by my learned friends yesterday. I cannot understand the logic to have a separate fund. We have a similar fund which is Prime Minister National Relief Fund. What is the difference between the Prime Minister National Relief Fund and the PMCARES Fund? Further, this Fund is exempted from the Comptroller & Auditor General which means there is no C&AG auditing for which no reason is stated either in the Bill or in the Ordinance. Why is there no audit by the C&AG? There is nothing mentioned either in the Statement of Objects and Reasons or anywhere. What is the reason by which the Government is evading the C&AG audit? I would like to seek the clarification from the hon. Finance Minister.

Sir, both the Funds have tax exemptions. What is the distinction? The main distinction which I would like to say as per my information is about the donation to PM CARES Fund counting the company's mandatory Corporate Social Responsibility contribution. Suppose a corporate is contributing to the PM CARES Fund, that will be counted as their mandatory Corporate Social Responsibility contribution. Suppose, at the same time, you are contributing to the Prime Minister National Relief Fund, it will not be counted – this is my knowledge, it is subject to correction – as a mandatory CSR, that is the difference. What is the resulting effect of all this? The companies are getting a double benefit of tax exemption.

That is my strong objection. How is it possible? On the one side you are getting CSR exemption because as per Corporate Social Responsibility Act two per cent of the annual profit has to be spent on fulfilling corporate social responsibility, and on the other you are getting income tax exemption also. So, you are getting a double benefit as far as PM-CARES Fund is concerned and there is no such exemption as far as Prime Minister's National Relief Fund is concerned. This discrimination is illegitimate and there is no logical sense in it. That is the second point which I wanted to make. I submit that donation to Central Government should not be counted as mandatory CSR contribution since Income Tax exemption is already given.

Another point is that the PM-CARES Fund lacks transparency. It is not audited by the Comptroller and Auditor General of India. Further, even Right to Information Act is also not applicable to PM-CARES Fund. I may be corrected if I am wrong. Many petitions have been filed seeking information on the total amount collected so far, the amount distributed so far, the norms and conditions based on which fund is disbursed, etc. For all these queries, the answer people are getting is that the Right to Information Act does not apply to PM-CARES Fund. So, lack of transparency and accountability is the major issue and I would like to highlight that.

Sir, a recent analysis estimated that at least Rs.9,677.90 crore have been collected in PM-Cares Fund of which Rs.4,308 crore have been donated by Government agencies and Government staff to Railways, many public sector undertakings and also private corporates. Out of this, Rs.3,100 crore has already been given for COVID-19 related work. A letter has been given for Rs.2,000 crore, it is mired in controversy and I am not going into it, and it has become a big case of corruption, a scam, and that is also pending. It is quite unfortunate. The PM-CARES Fund coming into a controversy immediately after its commencement in itself is not a good signal for the fund. That is another point which I would like to make.

Besides that, there is a total lack of transparency over the use of the fund. The allegations of cronyism and favouritism in the spending of the fund are particularly of concern. Further, PM-CARES Fund is opaque regarding the amount of money collected, names of donors, expenditure incurred from the fund so far, names of beneficiaries, etc.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude now.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I just started, Sir.

The Prime Minister's National Relief Fund provides information annually on donation and expenditure made out of the fund without giving detailed breakup of numbers. I do accept that there is no detailed breakup given as far as PMNR Fund is concerned but annual report is being given. However, the PM-CARES Fund's trust deed is not available for public scrutiny also. That is quite unfortunate as far as PM-CARES Fund is concerned.

Sir, I am now coming to another provision, Section 8 of the Ordinance.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय सभापति: क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 149 यह कहता है कि सीएंडएजी केवल भारत सरकार के कंसॉलिडेटेड फण्ड या स्टेट के एक्सचेकर का जो पैसा है, केवल उसी की ऑडिट कर सकता है। पीएमकेयर्स फण्ड में न कंसॉलिडेटेड फण्ड से कोई पैसा जा रहा है, न भारत सरकार कोई बजटरी सपोर्ट दे रही है और यह सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। उसके बाद भी अगर इस तरह का डिसकशन पार्लियामेंट में होता है तो हम लोगों की इमेज क्या होगी, इसे आप समझ सकते हैं। यह आर्टिकल 149 का वायलेशन है।

माननीय सभापति : ठीक है, वह रिप्लाई में कवर हो जाएगा।

माननीय सदस्य, आप बोलिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Let the hon. Minister respond to it. That is the main question which we are also asking. When we are having the PMNR Fund, when we are having an auditable, accountable fund which is transparent, what is the need of a special fund named PM-CARES? That is the question which we are asking.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You have spoken enough.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, now, I will come to Section 8 of the Ordinance. Section 8 of the Ordinance is same as Section 7 of the Bill. Regarding amendment to the Central Goods and Services Tax Act, a new section is incorporated as Section 168A of the CGST Act of 2017, by which the time limit prescribed in the Act can be extended on the recommendations of the GST Council in respect of actions which cannot be completed or complied due to *force majeure*.

Sir, yesterday also, we have explained it. My objection is to Clause 2.

HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, as per Rule 178, the mover of the Resolution as well as Statutory Resolutions shall not exceed 15 minutes, with the permission of the Chair. Let me conclude please.

Sir, Clause 2 of Section 168A provides retrospective effect to the notification. That is my objection.

HON. CHAIRPERSON: Ten minutes have passed already.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: The Government can evade from its obligation to pay the GST compensation, which is long due. In Kerala State alone, 7,000 crores of rupees are due as GST compensation. I do agree with the Minister that this retrospective effect is being made applicable by the Government of India with the approval of the GST Council. But even then, there is a provision which is not there in the GST Constitution, which is not there in the CGST Bill. But a new provision is incorporated, thereby, GST compensation can be taken away with the permission of the GST Council with retrospective effect for which I have also strong objection.

Hence, I oppose the Bill and also move the Statutory Resolution. Thank you very much, Sir.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a Point of Order. I will take only one minute. I have given a notice on Point of Order.

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

PROF. SOUGATA RAY: I will be very brief.

Sir, my Point of Order is under Rule 71. Rule 71 mentions the rule for laying of ordinances. The Ordinance then is transformed into the Bill. Yesterday, the Ordinance was presented and then the Bill was presented. But read the Ordinance. The name of the Ordinance is Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020. Now, read the Bill. The Bill says the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020. ये दोनों अलग हैं।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने अपनी बात कह दी है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, एक बिल है और एक अलग आर्डिनैन्स है, यह कैसे हो सकता है?

HON. CHAIRPERSON: You are one of the most learned MPs. नियम 71(1) के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विधेयक तथा अध्यादेश बिलकुल एक जैसे हों। विधेयक में ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं, जो अध्यादेश में नहीं हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितम्बर, 2020 तक 1,06,000 करोड़ रुपये टैक्सपेयर्स के रिफंड के पैसे इतने खराब समय में रिफंड किए। पहले स्थिति यह होती थी कि जैसे ही बजट का समय आता था, सारे रिफंड रोक दिए जाते थे और केवल रेवेन्यु बढ़ाने के टारगेट में पूरा विभाग, पूरी सरकार लग जाती थी। ऐसी खराब परिस्थिति में, जबकि सरकार के रेवेन्यु रिसोर्सेज सिकुड़ रहे हैं, ऐसे समय में भी टैक्सपेयर का पैसा, और जो रिफंड का उनका हक था, 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितम्बर, 2020 तक एक लाख छः हजार करोड़ रुपया रिफंड का पैसा वापस किया गया। लगभग 30 टैक्स पेयर्स को रिफंड किया गया है, ताकि इस खराब परिस्थिति में वह उनको काम आ सके। इसके लिए मैं सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, फाइनेंस बिल, 2020 पर 23 मार्च को डिटेल में डिस्कशन होने वाला था, परंतु स्थितियां अनुकूल नहीं होने की वजह से, और चूंकि संसद की कार्यवाही समय पर स्थगित होनी थी, इसलिए उस बिल को सभी दलों की सहमति से बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया। उसमें से प्रावधान, अलग-अलग सरकार के मन की इच्छा थी कि टैक्स पेयर्स बढ़ें, करदाताओं को सुविधा मिले, ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान मिले और उनका अननेसेसरी हरैस्मेंट नहीं हो। ऐसे अलग-अलग तरह के प्रावधान हुए थे। मैं कुछ प्रावधानों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्योंकि उस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था, इसीलिए बड़े-बड़े एसएमई की तरफ सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान था। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी तीन लाख करोड़ रुपये की सहायता एमएसएमई को बिना गारंटी देने की बात की गई है। एमएसएमई, जिसका कैश ट्रांजैक्शन लेने और देने में पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो टैक्स ऑडिट में जहां एक करोड़ रुपये की जनरल लिमिट है, जिसका भी एक करोड़ रुपये से ज्यादा व्यवसाय हो, उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन एमएसएमई को एक करोड़ रुपये की जगह पांच करोड़ रुपये की छूट दी गई है। शर्त यही थी कि उसका कैश ट्रांजैक्शन यानी टोटल रिसिव का पांच प्रतिशत से ज्यादा कैश नहीं हो सकता है, यानी टोटल पेमेंट का पांच प्रतिशत से ज्यादा कैश नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ी रिलीफ उनको इससे मिली है। एमएसएमई काफी रोजगार देती है।

माननीय सभापति महोदय, उस बिल में डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स हटाया गया है। एक कंपनी कुछ पैसा कमाती है और वह उस पर टैक्स देती है। टैक्स के बाद उस कंपनी के शेयर होल्डर्स उससे उम्मीद करते हैं कि हमें भी कुछ डिविडेंट मिले, तो वह डिविडेंट की घोषणा करती है। उससे पहले वह डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स भी देती है। तीसरा, जब शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंट पहुंचता है, तो उस पर भी टैक्स लगता है। एक ही इनकम पर तीन जगह टैक्स लग रहा है। पिछला जो फाइनेंस बिल, 2020 था, उसमें डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स की समाप्ति हुई। उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशंस फाइनेंस अमेंडमेंट, 2019, फाइनेंशियल अमेंडमेंट जो दो

नम्बर था, उसमें कंपनीज को दिए गए थे। प्राइवेट कंपनीज को असेसमेंट के अंदर टैक्स लायबिलिटीज 22 प्रतिशत की गई, परंतु उस समय कोऑपरेटिव सोसायटी को यह नहीं दी गई। यह सुविधा उन कोऑपरेटिव सोसायटीज को फाइनेंशियल बिल, 2020 में दी गई।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो ईमानदारी से टैक्स नहीं देते थे, वे उसमें कुछ न कुछ हेराफेरी करते थे, उनके लिए भी वर्ष 2020 में कुछ नियम बनाए गए। सबसे बड़ा यह है कि एक रेजिडेंट इनकम टैक्स असेसी का जो स्टेटस होता है, उसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो भारत का नागरिक है और वह नागरिक वर्तमान परिभाषा के हिसाब से रेजिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन जिन देशों में टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, वहां का रेजिडेंट बन कर कुछ अर्निंग करता है और कहीं पर भी टैक्स नहीं देता है। अगर वह भारतीय नागरिक है, अगर वह कहीं भी टैक्स नहीं देता है, तो भारतीय इनकम टैक्स के हिसाब से उनको भारत में रेजिडेंट माना गया है।

17.00 hrs

इस प्रावधान का लोगों द्वारा बहुत ही मिसयूज किया जा रहा था, उसे रोका गया। इसके साथ ही साथ एक और पेनाल्टी शुरू की गई। बहुत से लोग व्यवसाय में बोगस बिलों के द्वारा जीएसटी का फायदा लेते थे। जिसमें माल नहीं आता था और बोगस बिल बनाकर उसका पेमेंट बनाकर इनकम टैक्स में क्लेम कर देते थे। ऐसे बोगस इनवॉयसेज मिलने पर इनकम टैक्स में प्रावधान किया गया कि जितनी उसकी रकम है, उस राशि के बराबर उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, ताकि जो इनकम टैक्स पेयर्स ईमानदार नहीं हैं, उन्हें सजा दी सके।

माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए और जो कर चोर हैं, वे किसी भी तरह से बचने नहीं चाहिए। इसके लिए बिल में एक प्रावधान और किया गया था। वह प्रावधान सेक्शन 119 ए के द्वारा फाइनेंस बिल में जोड़ा गया और इसके अनुसार प्रावधान यह था कि सरकार टैक्स पेयर चार्टर बना सकती है। टैक्स पेयर्स चार्टर मतलब यह कि टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां तय की गईं। सरकार ने कानून बना दिया और बोर्ड को डायरेक्शन और पावर दे दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 13 अगस्त को टैक्स पेयर्स चार्टर रिलीज किया था। यह टैक्स पेयर्स चार्टर क्या है? इस चार्टर में अथॉरिटी को टैक्स पेयर्स के प्रति कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहला, यह कि कर दाताओं के साथ उचित व्यवहार करना।

माननीय सभापति, मैं वर्ष 1972-73 से टैक्स दे रहा हूँ। मुझे इनकम टैक्स का एसेसी होते हुए 48 वर्ष हो गए हैं। मैं उस समय शाहपुरा कस्बे में रहता था। वहाँ की ऐसी हालत थी कि अगर कोई इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बाजार में आ जाए, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस नहीं होता था, वह जिले से आते थे। उनके आने से कस्बे की आधी दुकानें उसके डर से बंद हो जाती थीं। हमने यह स्थिति भी देखी है। पिछले छह साल से ईमानदारी से कर देने वालों के लिए इस सरकार ने जो काम किया है, वह बहुत सराहनीय है। मैं इस पर बधाई देता हूँ। टैक्स पेयर्स का चार्टर कहता है कि करदाता के साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। दूसरा, आम जनता की ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए, यानी कि अगर ईमानदार करदाता ने कुछ सबमिट किया है, तो उसे मानना चाहिए। इसके पहले स्थिति यह थी कि करदाता तो ईमानदार हो ही नहीं सकता है। सरकार भी यही मानती थी और एकजीक्यूटिव कहते थे कि कोई ईमानदार करदाता नहीं है। ईमानदार करदाता किसी की गलत मांग को पूरी नहीं करता था, इसलिए उसे बहुत हैरस किया जाता था। गलत करदाताओं को और प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन इस चार्टर से ईमानदार करदाता पर विश्वास किया जाएगा।

तीसरी सुविधा यह दी गई कि अगर कोई असेसमेंट हो गया, तो उसकी समीक्षा की जा सकेगी। पहले अधिकारी समीक्षा करता था, लेकिन अब उसके ऊपर का अधिकारी उसकी समीक्षा करेगा। इसके अलावा अथॉरिटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि कानून की सटीक जानकारी टैक्स पेयर्स को उपलब्ध कराई जाए। यह नहीं कि अपने हिसाब से लिख कर दे दें।

पहले तो कैसे भी हो, कुछ ने 144 में किया, एक रेट से सारा जोड़ दिया या 143 में किया, बुक्स ऑफ एकाउंट्स को रिजेक्ट किया और अपने हिसाब से परसेंटेज लेकर उसमें कर दिया। इसमें इतनी गड़बड़ी होती थी कि बेचारा करदाता लास्ट में यही सोचता था कि अगर मैं टैक्स नहीं देता या रिटर्न नहीं भरता, तो ज्यादा ठीक रहता। यह हैरसमेंट होता है।

इसके अलावा टैक्स अथॉरिटी पर यह भी जिम्मेदारी दी गई कि वह जो भी फैसले ले, बिल्कुल समय पर ले, यह चार्टर के अन्दर है। यह नहीं कि आज की है और वह फाइल पड़ी रह गयी, फिर किधर गायब हो गई, मालूम ही नहीं पड़ा। जो भी समय फिक्स है, उसमें उनको फैसले लेने हैं। करदाताओं के द्वारा जो भी सबमिट किया जाता है, उसकी गोपनीयता रखना। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : महोदय, अभी तो शुरू किया हूँ। मैं पार्टी का पहला वक्ता हूँ।

माननीय सभापति: आज दो बिल पास करने हैं। यह आज का एजेंडा है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं पार्टी का पहला वक्ता हूँ, मैं वैसे भी बोलने में कमजोर हूँ। अगर मेरे बोलने के बीच में डिसटर्बेंस हो जाती है, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ।

माननीय सभापति: ठीक है। आप शॉर्ट में समेट लीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: करदाता की जो डिटेल्स दी जाती है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना और जो अधिकारी गलत करते हैं, उनकी जवाबदेही तय करना, ये सारी बातें टैक्स पेयर्स चार्टर में हैं। उसमें टैक्स पेयर्स की भी कुछ जिम्मेदारी तय की गई है। टैक्स पेयर्स चार्टर में यह अधिकार भी दिया गया है कि वह शिकायत कर सकता है ताकि टैक्स पेयर्स को न्यायपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो सके और टैक्स कंपलायंस की कॉस्ट कम-से-कम हो, यह चार्टर में है। उसमें कुछ और अमेंड हो सकता है। इसके साथ-साथ टैक्स पेयर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ईमानदारी से, जितना टैक्स बनता है, वह चुकाए और देश के विकास में काम करे।

सभापति महोदय, इस बिल में जो प्रावधान लाए गए हैं, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने 13 अगस्त को फेसलेस असेसमेंट लागू की। जिसमें न तो टैक्स पेयर को मालूम है कि उसका असेसमेंट कौन कर रहा है और न ही अथॉरिटी को मालूम है कि वह किसका असेसमेंट कर रहा है। मतलब उसमें कम्पनी का नाम तो होगा, लेकिन उसको यह मालूम नहीं होगा कि वह कहाँ है, क्या है। यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है।

जहाँ तक डिजिटल सिस्टम, टेक्निकल ड्राइव सिस्टम की बात है, मैं आपको इसके बारे में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता की एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 23 साल पहले जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। मैं भी उसमें सांसद के रूप में एक प्रतिभागी था। उसमें माननीय मोदी जी पाते प्रदान करने आए थे। उस समय उनके हाथों में लैपटॉप था। यह मैं आज से 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनके हाथों में लैपटॉप था। उस समय उन्होंने भाषण में बोला कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि जिसको कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है, वह पीछे रह जाएगा। आज वही स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी की यह दूरदर्शिता है। हमको भी पार्लियामेंट की तरफ से डेस्कटॉप कम्प्यूटर मिला था, लेकिन वह केवल दिखाने और सजाने के लिए था क्योंकि हमको चलाना नहीं आता था। जब हमारा पी.ए. आता था, तो वह उससे लेटर वगैरह का प्रिंट निकाल लेता था। प्रधानमंत्री जी की यही सोच टैक्स पेयर्स चार्टर में है। इस बिल में जो फेसलेस असेसमेंट का प्रावधान है, उसमें पूरी डिटेल्स...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : अभी तो इसमें इनकम टैक्स की बात है, इस अमेंडमेंट में सबसे बड़ी बात डेट्स की है क्योंकि कोरोना के कारण किसी भी चीज में यह समय पर नहीं हो सके। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको जो भी बोलना है, आप जल्दी से उसके पॉइंट्स बोल दीजिए, इलैबोरेट मत कीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: सभापति जी, अभी तो मुझे बोलते हुए केवल दस मिनट ही हुए हैं। मैं अपनी पार्टी का पहला स्पीकर हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको पंद्रह मिनट हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : सर, मुझे अभी दस मिनट हुए हैं, इसलिए आप मुझे बोलने दीजिए। जिस करदाता को इन्वेस्टमेंट करना है, वह उस फाइनेंशियल ईयर की मार्च के लास्ट वीक में करता है, लेकिन मार्च के लास्ट वीक में लॉकडाउन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट, भले ही वह कैपिटल गेन का हो, भले ही चैप्टर-6 80 (सी) के डिडक्शन

का हो, वह करने के लिए यह डेट एक्सटेंड की है, उसकी तारीख 31 जुलाई तक की थी। इससे करदाता को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है।

इसके साथ-साथ 'विश्वास स्कीम' की तारीख पहले 30 जून दी हुई थी। आज इनकम टैक्स के लगभग पांच लाख केसेज़ की अलग-अलग अपीलों में 11 लाख करोड़ रुपये हैं, जो अपीलों में अटकी हुई है। इसके समाधान के लिए जो स्कीम लाए हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून थी, उसको 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है, ताकि जो भी कोरोना के कारण इस स्कीम में नहीं आ सके, वे इसमें आ जाएं।

17.11 hrs

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

अब मैं आपसे जीएसटी के ऊपर बात करता हूं। जीएसटी एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो अलग-अलग कानूनों में जो अलग-अलग डेट्स हैं, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह उन डेट्स को एक्सटेंड कर सके। मैं आपके माध्यम से एक विशेष बात रखना चाहता हूं। जीएसटी में जो दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुभाष जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: माननीय सभापति महोदय, मैं पार्टी का पहला स्पीकर हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप पहले स्पीकर हैं और बहुत बढ़िया भी बोल रहे हैं। आप सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है और कई मेंबर्स अभी बोलेंगे। यह आपका सब्जेक्ट है, आप जितनी गहराई से बोल रहे हैं, शायद और कोई नहीं बोल पाएगा। इसलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दो मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: माननीय सभापति महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। 14 मार्च की जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि जीएसटी पेयबल जो केस में है, उसके ऊपर ब्याज लिया जाएगा और जो जीएसटी पेयबल आईटीसी के मार्फत डेबिट होना है, उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जब से लागू हुआ है, तब से किया जाएगा। यह जीएसटी काउंसिल ने निर्णय किया है। इसका नोटिफिकेशन बाद में आया था, बीच के पीरियड में आज जो सारे करदाता हैं, वे काफी असमंजस में हैं। इसको क्लियर किया जाए।

मैं जीएसटी का दूसरा विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सारे निर्णय जीएसटी काउंसिल ही करती है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जीएसटी काउंसिल ने ही जीएसटी और सीजीएसटी कानून बनाया और कानून के बाद रूल्स बने। ये रूल्स कानून को क्रॉस नहीं कर सकते, यह जनरल बात है, लेकिन सीजीएसटी में रूल्स कानून को क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको इसका उदाहरण, एक लास्ट बात रख रहा हूँ। इनवर्टिड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आईटीसी का रिफंड होता है। सीजीएसटी का सेक्शन-54(3) यह कहता है कि जो भी आईटीसी क्रेडिट है, वह रिफंड के लिए एलिजेबल है, परंतु रूल्स के अंदर जो प्रोविज़न किया गया, रूल-89(5) में सर्विस टैक्स की आईटीसी को अलग कर दिया गया। इस तरह रूल्स आज एक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए, इसमें करेक्शन किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, today I rise in opposition to the Tax and other laws (Amendment) Bill, 2020. I, as a public representative of the people, express my dissent on the amendment to the Income tax Act 1961 Chapter III of the said Act.

The issue of contention here is amendment to Section 86(g) of the Act. To begin with, I am duty-bound to remind the Treasury Benches of the constitutional principles outlined in article 74 (i) which states and I quote:

“There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advice. The President shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice.”

Each word in this article has significance, 'there shall be a Council of Ministers'. The Prime Minister is the head to aid and advice the President who shall work in accordance with such advice. This means all the businesses done by the Government or the Prime Minister is under the name of the President of India. Every act of the Government; every act of the Prime Minister is accountable in the name of the President. Any fund taken from the public by the Government, or a Minister or the Prime Minister is under the warrant and seal of the hon. President. It is the name of the hon. President that is accountable to this august House for every transaction made. That is how democracy functions and rules of law work in a parliamentary system. Yet, some people in this House did not read the basic principles of our parliamentary system. In simple words, if you take money in the name of the hon. Prime Minister, you will have to tell the Parliament about how and where the money has been spent. What is there to hide? This fund is not meant for Defence purposes or for purposes of any classified national interest for which the Government can hide behind a 'secrecy clause'. For a Prime Minister who likes to talk so much, it is unbelievable that he is silent on an issue of transparency of the PM CARES Fund.

The hon. Prime Minister, Shri Modi, on 6th March, 2018 tweeted, 'transparency and accountability are two vitals in a democracy'. Why is he backtracking on his promise like his every other promises of putting Rs. 15 lakh in the bank account of every Indian; generating 2 crore jobs every year, double digit growth and all such *jumlas*? What was the output? Was buying 10,000 faulty ventilators justified? The money was wasted. The Government is hiding its failure behind the excuse that it was a private Trust and so the Government will not answer where the money was spent. Can a Chief Minister of a State do the same thing? The whole fund and its functioning are marked with corruption and crony capitalism. The Government says it is a private Trust. My question to the Government is this. Who is running this country – is it an elected Government by the people or a charitable private Trust of investors and corporate funders of the ruling party? What was the need of a private Trust?

The biggest joke in this Fund is that the Trustees are the Ministers and the Parliamentarians. Being so, they occupy positions in a private Trust whose working is not public. So, will this account for a breach of privilege? There will be conflict of interests of those Trustees who are performing Government roles in private Trusts. Why is there no Defence Trust; Parliament Trust; Bureaucracy Trust; a Government Trust which will run all the interests of the corporates so that at least we shamelessly accept in open that it is the corporates who are running this country and not Modi ji's Cabinet?

Why am I saying so? It is because look at the tax exemption given by Government under Section 80(g) to companies and individuals. In common man's language it means that any best friend of Modi ji and the ruling party can make a donation to the PM CARES Fund and get income tax exemption and no questions will be asked. All the ... * can utilise the fund in whichever way they want. This is institutionalisation of corruption where you take money in the name of public service and no agency or officer can ask any questions and approval is given automatically. This amendment specifically removes the powers of the officials to question any dubious practice. Just like demonetisation ... * is helping black money to become white, of ... * corporate friends. Even C&AG is not allowed to audit the fund. The Government has appointed an independent auditor without any advertisement for an interview.

The Government did direct appointment without consultation. But who is this independent auditor? What is his relation to the BJP party and its leaders? With whom is he seen in many programmes? Many say that the auditor ... *.. who was appointed by the Government, is a known friend of the Ministers. Some say that they have partnership with the Ministers.

HON. CHAIRPERSON : Manickam Ji, do not mention the names. The names will be deleted.

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Why was a person with such conflict of interest appointed as an independent auditor? The Government will never tell the truth as their motive is clearly shown by their conduct. PM-CARES Fund is BJP COVID-19 Rescue Fund.

An important aspect on foreign funding was mentioned by the hon. Minister yesterday. The Minister failed to mention that this amendment will allow Government to bypass all safeguards under FEMA or any Indian laws as the Government wants to give a clean chit to all donations made under this Act to PM-CARES. The Government is free to make money from anyone including any business people in the name of COVID relief. From the motives of the Government, it is clear that the Government wants to sell this country's interest to its best friends in corporates. The AA batteries, who are running the BJP Government seems to benefit the most out of these relaxation in norms. Take the example of privatisation of airports;, take the example of privatisation of ports, take the example of privatisation of telecom, take the example of privatisation of services; everything is done by this Government to benefit only two corporate friends of our ...*... In return, they deposit money in PM-CARES.

Since the hon. Finance Minister is well versed with the Thirukkural, therefore, I would like to quote Thiruvalluvar, who was a great poet of Tamil literature. He said:

“pazhudhennum mandhiriyin pakkadhadhul thevvor
ezhupadhu koti urum”

It means that it is far better to have 70 crores of enemies than a Minister at her side who intends to ruin.

Thank you so much.

HON. CHAIRPERSON: Thiruvalluvar is the doyen of Tamil literature.

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Sir, thank you for giving me an opportunity to express my views on the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

This Bill is about extending deadlines fixed under various tax laws due to COVID-19 pandemic problems.

Regarding donations to PM-CARES Fund, the IT Act allows persons to lower their taxable income by availing certain deductions specified in the Act. Deductions can also be claimed against the donations made to certain funds and charitable institutions. The Act amends the IT Act to provide that donations made by a person to the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, that is PM-CARES Fund, will be eligible for 100 per cent deduction. This implies that an amount equivalent to the donations made by a person to the Fund can be deducted from his income while calculating his total income under the IT Act.

Under the existing CSR responsibilities, a company which undertakes development in any locality has to set apart 10 per cent of project cost to utilize it towards corporate responsibilities for the locals affected by the project. This includes job opportunities/drinking water supply, development of locality, planting trees etc. The CSR responsibilities are now amended in company law to include donation to PM-CARES Fund. Thus, 10 per cent of the project cost is hijacked by PM-CARES Fund instead of the company spending it on the locality. Now, by encouraging tax exemption to donate to PM-CARES, all companies will be interested in donation to PM-CARES Fund rather than investing in localities and it will lead to unemployment of locals.

The PM CARES Fund is now clearly a private trust with the Prime Minister and few Ministers as Trustees. Can the Parliament exercise its power under Article 265 to grant exemption from tax to the said private trust particularly when its spending is not under Parliamentary oversight? Recently, they have said that the Trust is not amenable to the Parliamentary Standing Committee on Finance.

Sir, I want to know through you whether any representation was received from the Trustees of the PM CARES Fund for such exemption. When the Bill seeks to ratify the money already collected by PM CARES, I want to know whether the details of money collected will also be tabled before this House.

The Objects and Reasons of the Bill mentions representation from stakeholders. The gist of these representations has not been placed before the House for the Members to assess whether the amendments are in tune with what the nation has asked.

You have made everything online and faceless but the necessary infrastructure has not been put in place. For example, when a company amalgamates, all assessments should be made on the new amalgamated entity. However, there is no functioning software which allows this migration. This means after amalgamation everything has to be manually registered. So, I would urge the hon. Minister to update the software and create the digital infrastructure to perform these functions.

You are suggesting faceless hearings before the Assessment Officers and Commissioner appeals but such hearings require a lot of reference work to pages, etc. The hon. Minister should consider putting in place a virtual court system for these hearings because otherwise, the assesseees will be driven to courts to say that they were not given proper hearing.

You have reduced the TDS from 10 to 7.5 per cent for the tax payer but the rate of tax itself has not been reduced to give some relief in these testing times. Essentially that means that the assessee will have to bear the brunt of it in the next year. The hon. Finance Minister may consider reducing the tax rate to give some relief to the assessees or masses.

On *Vivad se Vishwas*, appeals are pending before the High Court and Supreme Court where writ petition (SLP) has been filed against order passed under Section 245 (d) of the IT Act. The same is pending as on 31.1.2020. Can the assessee opt for it? A clarification may be given to the Departments and relief may be given to tax payers whose cases are pending before the Appellate Court. Thank you.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, I symbolically stand to oppose the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020 on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress.

This Bill is deeply problematic because it further weakens the rights and resources available to the States by taking away the statutory promises made under the new GST regime and on the other hand, it corners public funds for PM CARES to the direct detriment of State Relief Funds.

Sir, Clause 7 of the Bill seeks to amend the Central Goods and Services Act of 2017 allowing the Government to extend the time limit for completion of actions under the Act in events of force majeure such as an epidemic with retrospective effect. This will permit the Government to retrospectively validate its failure and extend the time limit indefinitely while disbursing compensation to States.

Does the hon. Finance Minister conveniently forget that GST was only made possible because the States ceded almost all their powers to levy local level indirect taxes? The underlying promise made to the States while accepting this was that revenue shortfalls arising from the transition to GST would be made good from a pooled GST Compensation Fund for a period of five years ending in 2022. This corpus was to be funded by a compensation cess levied on so called 'demerit goods'. The mechanism for this is spelt out in Section 7 of the GST Act, 2017 which you now seek to destroy.

This quantification was to be done annually by projecting a revenue assumption on 14 per cent compounded growth on the revenue of the base year, 2015-16 and calculating the difference between that and the actual GST collection of any particular year. Applying this formula for the year 2020-21, the anticipated shortfall is Rs. 3 lakh crore. The compensation pool, however, has only Rs. 65,000 crore but the Centre cannot shy away from its responsibility and must cover the shortfall of Rs. 2.35 lakh crore by borrowing. I ask myself, in such a situation, a question. Is incompetence force majeure? Is criminal negligence force majeure?

The second insidious objective of this Bill is to give a blanket clearance with no accountability whatsoever to the PM CARES Fund. The origin of the PM CARES Fund is steeped in non-transparency, and is inherently discriminatory in nature. I was among the first citizens to petition the Supreme Court of India against the discriminatory nature of this fund. But the Bench, in its wisdom, while not dismissing my petition on merits, asked me to bring it up in Parliament. So here I am, moving from the corridors of judicial review to the *Janata ki Adalat*.

The Government issued a circular on March 28, 2020, notifying that all contributions to the PM CARES Fund qualify this eligible CSR contribution under Item 8, Schedule VII of the Companies Act. But it also disqualified contributions made to the State Relief Funds from being treated as valid CSR activities. But this was earlier expressively permissible under Schedule VII of the Act of 2013. So unfair

treatment of identical contributions to the PM CARES Fund and to the State Relief Funds is against public interest and against public policy. It completely disincentivizes corporate contributions which the State Governments would otherwise have got. It creates an unfair, unjust and discriminatory distinction against the State and Chief Minister's Relief Funds in favour of the PM CARES Fund.

The hon. Minister, while introducing the Bill yesterday, read out a long list of school children and pensioners who had apparently readily and happily given away their meagre savings to the PM CARES Fund but the hon. Minister was strangely silent on the 38 PSUs that have donated more than Rs. 2100 crore to the Fund. Almost 70% of the funds' corpus comes from the 38 PSU donations. These are public sector undertakings, and share capital subscribed to by the Government of India out of public money. Without an audit, the conflict of interest is writ large for anyone to see. I hope, you remember that the Prime Minister's Office, in response to an application seeking disclosure of the incorporating documents of this trust, had said that this is not a public authority; hence, it is not open to RTI. But the very legislative intent behind Section 135 of the Companies Act was to encourage companies to use CSR funds for local welfare activities for local communities in areas of operation. But the PM CARES Fund diverts those very funds away from local communities into this dark hole where not even a speck of light can enter.

Coal India has committed Rs. 221 crore to the Fund while it cannot contribute to the State Relief Funds of Bengal and Jharkhand where it has 90% of its operations. ONGC has mentioned that it has offered funds from its CSR budget for the year, even though the allocation is not yet determined. The Power Finance Corporation contributed Rs. 200 crore to the PM CARES Fund, even though its entire CSR allocation is only Rs. 150 crore. It is almost like the courtiers of the Emperor competing with each other to give gifts to the Emperor with public funds. If these improprieties were not enough, then please consider the massive donations made by Chinese companies. This is horrific. Xiaomi, a Chinese company accused of snooping on people gave Rs. 10 crore. TikTok, which was currently banned by this Government only a few weeks ago, gave Rs. 30 crore. Huawei, which is banned all around the world for its well-

documented links to the Chinese Army gave Rs. 10 crore. Why did you take this money from our enemies? Why do you not return this tainted money? I am sure, no dying Indian would want to be on a ventilator paid for by the enemy money at this time. I ask you; would they?

You say you have put Rs. 2,000 crore towards the purchase of 50,000 ventilators. Please lay on the Table of this House how many ventilators have been physically delivered to which hospitals and to which States. Also tell us the manner of procurement. The way airwaves and the way Airports are sold in this country to crony capitalists, I hope this procurement was not done via those same individuals. This is a question that we need to ask. The dangers of these unverified foreign donations are amplified by the fact that the PM CARES Fund is exempted from FCRA regulations, even though it does not meet the pre-condition of a body whose funds are audited by the C&AG. You are bringing the PM CARES Fund under the ambit of the same clause that governs the Prime Minister's National Relief Fund, the existing fund. What is the need to institute a new fund when one exists? Prime Ministers will come and go but the existence of a fund is not up for discussion. What is the need to name everything after one individual? We need to remind this Government that this is a democracy; it is not an elected autocracy. ...(*Interruptions*)

First you are raising funds on the basis of public office. The very name – the Prime Minister's Fund – makes people think that this is a Government authority. So, by saying it is not open to RTI, you are running away from the spirit of transparency you claim to be wedded to.

Second, Cabinet Ministers are trustees administering the funds. So, you are impermissibly expanding the scope of your Ministerial Office in excess of the mandate determined by the Constitution.

Thirdly, you are commandeering resources and donations are done by default. A circular issued on 17th April by the Department of Revenue under the Ministry of Finance told every officer and staff of the Government of India to contribute one day's salary till March, 2021 to the PM CARES Fund. This would be deducted from their salaries. If they wish to not donate, they should put this in writing. Tell me in this atmosphere of fear and vengeance currently prevalent in this country, which bureaucrat, which public officer will say that they do not wish to donate?

Sir, I have only a few minutes left, and so, bear with my bluntness. To this Government, I say stop lying to us all the time about growth rates, about migrant welfare, about expenditure and the laughable delusion that the PM Cares. Please stop marketing Rs. 20,000 crore packages as relief measures when in truth it comprises money already spent and money to be given as loans, and imaginary money that will never reach the people that it is supposed to. Stop cheating the State Governments of their dues, made through a constitutional promise, stop wasting funds on vanity projects when the State Governments who actually make a difference in people's lives are deprived time and again.

So, I end by saying that today's India reminds me of Hans Christian Anderson's story, the Emperor's New Clothes, where the emperor was cloaked in nothing, yet his sycophantic courtiers could not tell him so. The Bengali poet Nirendranath Chakravorty in his poem *Ulongo Raja* said that only one little innocent boy in the entire kingdom had the courage to stand up and ask the naked emperor, '*Raja, tor Kaapor Koī?*' Today, I ask the same question, Emperor, where are your clothes.

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL (SATARA): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

Firstly, with regard to GST compensation to States, in response to an Unstarred Question No. 212 on 14th September, 2020 on GST Shortfall, the Centre has admitted that GST compensation to the States for the period from April to July, 2020 is yet to be paid. States are now given an option to borrow or raise money from the market, which will be repaid later by the Centre. But even to plan the borrowing from the market, the States need to know the timeline as to when they can expect to get the pending GST compensation.

Secondly, with regard to non-utilisation of revenues collected from Cess, according to a Report of C&AG, over Rs. 2.18 lakh crore collected by the Central Government as cess for specific purposes such as education, sanitation, infrastructure have either not been transferred to dedicated funds or remain unutilised. The revenue collected from all these cesses is being retained in the Consolidated Fund of India without transfer to their respective funds. Can the Centre release this unutilised cess to the States who are waiting for their GST compensation?

Thirdly, as far as early resolution of tax disputes to free the locked-up funds is concerned, in response to an Unstarred Question No. 1228 on 10th February, 2020, it was informed that more than Rs. 4.15 lakh crore is locked up in indirect tax related disputes at various levels like Adjudication, Appeals, Tribunals, High Courts and the Supreme Court. Past Surveys show that the success rate of the tax department in tax cases at all levels is less than 35 per cent. As noted by the C&AG, the reason for this low success rate is

errors by the Assessing Officers in their assessment of tax. Given the revenue crunch in the economy, measures need to be taken to resolve these disputes early and release the funds thus received to the States.

With regard to capital infusion by the Central Government into the unorganised sector, I would like to say that while relaxation of tax norms may help the organised sector, there is a greater need to provide incentives and boost to the unorganised sector. The concessions granted in the Bill to the corporate sector and foreign portfolio investors may cost the Government its revenue.

Instead, there is a need to divert the funds to welfare measures like investment in employment of workers from unorganised sectors like migrant workers, construction workers etc.

Fifthly, coming to the PM CARES Fund, the Bill proposes to provide for tax relief to those contributing to the PM CARES Fund. Citizens and organisations, who donate to this Fund, have the right to know how the money they donated is being spent. Hence, there is a need for more transparency in its operations.

Sir, I would, therefore, request that my suggestions may be considered while passing this Bill.

Thank you for giving me this opportunity. With these words I conclude. Jai Hind.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, we are presently living in the COVID-19 era. Submission of returns and GST related kinds of things may be very essential during this period. But as correctly pointed out by my learned friends, with regard to donations to the PM CARES Fund, giving 100 per cent exemption to the donors is not at all acceptable because it may create room for misuse.

Of course, ease of doing business related laws can be encouraged, and that may be the need of the hour also. But at the same time, it should not be an escape route for the tax payers and the Government to use the public money according to their will and pleasure. So, because of this particular reason, I oppose this Bill.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Hon. Chairman, Sir, I support the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

The provisions of Direct Tax, Indirect Tax and Benami Laws provide for the tax payers to comply, and the authorities to act within certain time limits and also provide for levy of interest on delayed payments. The outbreak of novel Coronavirus (COVID-19), declared as a pandemic by the WHO and the Government of India, necessitated ensuring immediate social distancing. As the Parliament not being in Session, in order to provide immediate relief, the legislative amendments were made through promulgation of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020. This Ordinance *inter alia* extended time limits for various compliances and actions, and also provided for reduced rate of interest for late payments under Direct Tax, Indirect Tax and Benami Laws. On 24th June, 2020 and 29th July, 2020, notifications were also issued under the Ordinance for further extending certain time limits.

The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendments of Certain Provisions) Bill, 2020 seeks to replace the said Ordinance. In view of the representations received from the stakeholders after the enactment of the Finance Act, 2020, and due to the need for further rationalisation of some provisions of certain Acts, further amendments are proposed in the said Bill replacing the Ordinances. These amendments, in brief, are as under:

One is, incentive for IFSC. Foreign funds generally invest in the Indian securities market by locating their business in offshore jurisdictions due to availability of various income tax concessions/exemptions. It is proposed to provide income tax concessions/exemptions to these funds as available to them in the offshore locations.

Second is, inclusion of faceless assessment in the Income Tax Act: In order to bring accountability and transparency in the income tax assessment process, the hon. Prime Minister has launched 'Faceless Income Tax Assessment'. Currently, the faceless assessment is done under a scheme notified under the Income Tax Act. In order to provide statutory basis to the faceless assessment and to avoid future litigation, it is proposed to include the provisions relating to faceless assessment in the Income Tax Act.

The assessment will be treated as *non-est* if not completed in faceless manner. In order to ensure that the assessment is completed by only authorised officer, CBDT has issued a Circular to provide that any Assessment Order, which is required to be passed under the Faceless Assessment Scheme, shall be *non-est* if it is passed by any other officer. It is proposed to incorporate similar declaration in the faceless assessment provision proposed to be incorporated in the Act.

As far as scheme for other faceless functions is concerned, apart from assessment, a taxpayer has to approach the Income Tax Department for various other functions like rectification, verification, lower deduction of tax, revision, valuation, transfer pricing of audit, etc. These functions are currently performed manually and are done by the officer having jurisdiction over the taxpayer. In order to bring accountability and transparency in the non-assessment process, it is proposed to empower the Central Government to notify Schemes for completing these functions in a faceless and jurisdiction-less manner.

17.46 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

About incentive to ADIA, the Finance Act, 2020 provided exemption to wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) which invests funds of UAE Government. As the funds invested by wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) are owned by the Government of the Abu Dhabi, it is proposed to mention Government of the Abu Dhabi in place of UAE.

As far as reduction in TDS or TCS rates are concerned, to increase the liquidity in the economy, it is proposed to reduce of rate of TDS on non-salary payments and the rate of TCS to 75 per cent for the period from 14th May, 2020 to 31st March, 2021.

As regards extension of date of Vivad se Vishwas, in view of the COVID-19 pandemic, the date for payment under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020, is proposed to be extended to 31st December, 2020. Further, in order to provide flexibility to the Central Government in implementing the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020, it is proposed to provide power for notification to the Central Government to extend payment and grant instalment or specify date of declaration may be accepted.

About extension of date of registration of trusts, etc., the Finance Act, 2020 has introduced new procedure for approval or registration of charitable trusts from 1st June, 2020. Due to COVID-19 pandemic, it is proposed that the new procedure for approval or registration shall be applicable from 1st April, 2021.

As far as survey powers are concerned, in order to bring transparency and accountability in the survey operation, the CBDT has already issued a Circular that survey operation can only be conducted with the approval of the Pr. CCIT/CCIT/Pr. DGIT/DGIT. Also, the survey shall only be conducted by the investigation and TDS wing. In order to provide statutory basis to the Circular and to avoid future litigation on this matter, it is proposed to incorporate the content of the Circular in the Income Tax Act.

As regards revision powers to Pr. CCIT/CCIT, currently, the power of revision of assessment is provided to the Pr. CIT/CIT. As the Pr. CIT/CIT are also participating in assessment process under Faceless Assessment. In order to maintain hierarchy in the revision function, it is proposed to provide the revisionary power to Pr. CCIT/CCIT also.

As far as minor drafting changes are concerned, certain clarificatory drafting changes are also suggested to the provisions relating to capping of surcharge on dividend payable to FPIs, revised definition of non-resident and faceless penalty scheme introduced vide Finance Act, 2020. To provide clarity and certainty, it is proposed to carry out the suggested drafting changes.

Thank you, Sir. *Bharat Mata ki Jai.*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. CBDT through a notification on June 24 and the Ministry of Finance through a Press Release have provided the much-needed clarity with regard to income tax reforms proposed in the light of COVID-19. The Organisation for Economic Cooperation and Development had outlined a range of emergency tax measures that the Government could adopt to curb an economic fallout. This was on March 16. This included extended deadlines, suspending the

recovery of taxes, enhancement of services and communication and quicker refunds to taxpayers. Most of the measures were adopted by the Ministry through an Ordinance. Tax reliefs were there in three major areas: extension of due dates, reduction in withholding rates, and disbursement of tax refunds. In this Ordinance, along with all this, more clarity has been there. It has been found in the Ordinance and also in the Bill. Under Vivad Se Vishwas Scheme, the last date for making payment under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 was initially extended to June 30, 2020. It is now further extended to December 31, 2020 about which, yesterday, the Finance Minister also stated in the House.

Coming to reduction in rates, in order to provide more funds to the taxpayer, the rates of Tax Deducted at Source, TDS as it is called, and Tax Collected at Source (TCS) have been proposed to be reduced by 25 per cent. However, the reduced TDS rate is not applicable to payment of salaries and payment to non-residents. This reduced rate shall remain in force in 2020-21. It is estimated that this measure will release a liquidity of around Rs. 50,000 crore. For the ease of taxpayers and better clarity, the CBDT has provided a table containing revised rates of TDS and TCS.

17.53 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

Sir, I remember, in the first decade of this century, an attempt was made to simplify the Income Tax Act because it is so cumbersome and it is so contradictory at times that people who paid income tax always felt that they should not have entered into this tax regime. So, a Direct Tax Code was contemplated and a lot of effort also was made. But ultimately, when you have a tax lawyer leading the Finance Ministry at that time, you have more confusion and you have more litigation. That was the result of that Direct Tax Code which was never implemented by the previous Government and nor by this Government. But some sections, some portions of that Direct Tax Code are being implemented or were being implemented during the UPA regime and also during this regime.

These policy initiatives are commendable. In essence, these reforms are aimed at either payments which are lagging or reduced to the Government exchequer and the Centre trying to refund taxpayer money to improve liquidity in the economy. The delay in statutory compliances has also given breathing space to taxpayers.

I would like to draw the attention of the Minister to advance tax. The Standing Committee on Finance has given a Report very recently on it wherein it is stated that the Income Tax Department may be pushing taxpayers to pay excess advance taxes to meet revenue targets. This is a very serious allegation which the Standing Committee on Finance has made. The Committee found that interest components of the refunds distributed in the last financial year were high at over Rs 20,000 crore each.

So, I would just like to mention here that in the April-January period of the Financial Year 2019-20, the Income Tax Department had refunded Rs 1.71 lakh crore which included interest outgo of Rs 22,856 crore. Similarly, in the previous Financial Year, Rs 1.61 lakh crore was returned to taxpayers as refund consisting of Rs 20,566 crore as interest payment.

This demonstrates that a large amount of money is being collected or rather as the Standing Committee has mentioned are being forced to be collected. But I would also add that some taxpayers are also parking this money as an advance tax and getting interest out of it. This has also been raised earlier by the Standing Committee in the first decade of this century that why this is happening to tide over certain situations. The CBDT issued refunds, as I had mentioned, and this amount of Rs. 1,06,470 crore has also been issued to more than 30.92 lakh taxpayers between 1st April, 2020 and 15th September, 2020. I remember and that is what I mentioned that the most often issue that has been discussed today in this House, while we are discussing the Bill, is relating to the PM CARES Fund.

This is my last point. The acronym the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation is set up with the objective of being a dedicated National Fund to deal with any kind of emergency or distressed situation and I believe that this fund is not only created for Covid-19 situation but this fund will also be there to tackle different calamities which this country always faces. Such type of calamity relief fund formation is nothing new. In our country, we have such funds and so also, in foreign shores. And I doubt in any country such a clamour has been made to target a philanthropic trust the manner in which it is being done in our country. The scope of discussion this Bill, of course, rests on Clause 4 sub-clause 1 inserting PMCARES fund. It has to be given effect from 1st April, 2020. Why retrospective effect is being given? That needs to be explained by this Government but I think the answer is very clear because the calamity is there. We are facing this Covid-19 situation which this country had never faced earlier. It was perhaps 100 years ago in 1918 or in 1919 or in 1920, we had faced the Spanish flu. Accordingly, during the last 100 years, this situation has never happened in our country nor in any part of the world. This is the very serious case which we have to tackle and we need to address. Therefore, do we not understand it? Can we not use our own common sense? Why should one object to this? All the States are being benefited by this fund. CSR fund is being utilized and in an emergency situation like this, CSR fund needs to be utilized for this and I fully support this Bill.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, regarding the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, the Government took initiative after the Corona Pandemic. Immediately after that, the Government gave relaxation to the taxpayers and, accordingly, issued a number of notifications.

The Bill proposes amendment to the Income Tax Act, 1961 which inter alia, include providing of tax incentive for Category III – Alternative Investment Funds located in the International Financial Services Centre(IFSC) to encourage relocation of foreign funds to the IFSC, deferment of new procedure of registration and approval of certain entities introduced through the Finance Act, 2020, providing for deduction for donation made to the Prime Minister's Citizens Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES FUND) and exemption to its income, incorporation of Faceless Assessment Scheme, 2019 therein, empowering the Central Government to notify schemes for faceless processes under certain provisions by eliminating physical interface to the extent technologically feasible and to provide deduction or collection at source in respect of certain transactions at 3/4th rate for the period from 14th May, 2020 to 31 March, 2021.

18.00 hrs

हम सभी जानते हैं कि मुंबई शहर में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर होने वाला था। आपने मुंबई को दर्द दिया है, आईएफसी को आप गुजरात लेकर चले गए, टैक्सेशन के समय अच्छा कदम उठाते। मुझे इस दर्द के बारे में भी बोलना था। पैन्डेमिक की सिचुएशन में विश्व में सभी देशों की फाइनेन्शियल कंडीशन खराब है। मैं जानता हूं इसलिए अनावश्यक रूप से क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है। सरकार जो कदम उठा रही है, उसमें मुझे इतना ही कहना है कि लॉकडाउन के कार्यकाल में भी जिस तरह से आपने टैक्सपेयर्स के लिए समय बढ़ाने की अवधि और अवसर दे दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। The Bill also proposes to amend the Direct Tax *Vivad se Viswas* Act, 2020 to extend the date for our payment without additional amount to 31st December, 2020

and to empower the Central Government to notify certain dates relating to filing of declaration and making of payment. Now, this is also again giving the facility to the people who are having some *vivad*. यह विवाद अगले दिसम्बर, 2020 तक चलेगा, आपने अवधि दे दिया है। The Finance Act, 2020 is also proposed to be amended to clarify regarding capping of surcharge at 15 per cent on dividend income of the Foreign Portfolio Investor.

The Bill also proposes to empower the Central Government to remove any difficulty up to a period of two years and provide for repeal and savings of the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provision) Ordinance, 2020.

अब इसमें आपने पीएम केयर फंड के बारे में बात की। मैंने कल भी थोड़ा सा बोला था, आज दुबारा बोलता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, यह अच्छा है या बुरा, उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, जबकि जो डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसमें नहीं जाना है। आपने कदम उठाया, आपने इसे कर दिया। उसमें आपने 80जी की सहूलियत दे दी। आप जानते हैं कि पैन्डेमिक में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा बुरी हालत में है। सबसे ज्यादा कोरोना के लोग महाराष्ट्र में हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मिलकर कोरोना पैन्डेमिक से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। वहां कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यवश आपकी पार्टी भी कर रही है। लेकिन वह जानते नहीं हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। वहां हालत इतनी बुरी है, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, राज्य सरकार कुछ कदम उठाती है, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को 80जी दे दिया, क्यों न महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 के लिए जो एक अलग से फंड बनाया है, महाराष्ट्र कोविड-19 2020 फंड को भी आप 80 जी की सहूलियत दे दें, यह मेरी प्रार्थना है। आप बिल रिलैक्सेशन का लाये हैं, अगर यह रिलैक्सेशन वहां भी दे देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है। अगर आप इसे कर देंगे तो आप बड़े दिल के लगेंगे।

हम 80जी की बात मैंने रखी है। आप टैक्स रिलैक्सेशन दे रही हैं, समय बढ़ा कर दे रही हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। खासकर यह किसको चाहिए? हमारे पास एमएसएमई है। वह रोते रहते हैं। उनका इतना ही कहना है कि आप हमें इंस्ट्रुमेंट पर रिलैक्सेशन दें, आप कर्ज बढ़ा रहे हैं, कर्ज की मर्यादा बढ़ा रहे हैं, अब ज्यादा कर्ज ले सकते हैं। वह वैसे ही कर्ज में डूब रहा है और ज्यादा कर्ज लेगा और इस बीच इंस्ट्रुमेंट बढ़ेगा। अगर सरकार उस पर कुछ कदम उठाएगी तो मेरा सुझाव है कि इससे

एमएसएमई को बहुत मात्रा में मदद हो जाएगी, आप उस पर भी कदम उठाइए। आप महाराष्ट्र से अन्याय न करें, आज भी जब जीएसटी की बात आती है, कल भी मैंने बोला था। सबसे ज्यादा जीएसटी का ड्यूज पूरे देश में किस राज्य का है, सबसे ज्यादा रकम महाराष्ट्र को देनी है।

HON. CHAIRPERSON : Yesterday, you had already told this in the House.

श्री अरविंद सावंत : सभापति महोदय, मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि यही रिलैक्सेशन का आर्शीवाद महाराष्ट्र को भी दीजिए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir. We all are passing through an extraordinary time and understand the timing of this Bill. Our party, YSR Congress, welcomes this Bill as it seeks to provide extensions of timelines and interest waivers to taxpayers, who are suffering in the pandemic.

While we are supporting this Bill, we have five points to make. The first one is, treat donations to CM Relief Funds as CSR activity as well. Right now, the donations made to PM CARES Fund has been made eligible for tax deductions under Section 80 of the Income Tax Act. Corporates can also donate to PM CARES Fund as part of mandatory CSR activity. It is because of these benefits, individuals and corporates are diverting donations from CM Relief Funds to PM CARES Fund. However, there is no certainty whether PM CARES Fund will be used for the local development of a particular State.

For example, take the case of my State where a steel plant in Vizag has donated to PM CARES Funds as part of the CSR activity. Definitely, they wanted to look at it in such a way that their CSR fund is actually used in the development of Vizag rather than

somewhere else. It is a point that should be taken into consideration.

Therefore, donations made to State and CM Relief Funds should also be treated as part of CSR activity. This will help boost local development, which is actually the stated objective of the CSR policy.

Sir, the MPLAD fund has been suspended for two years. If the Government thinks in a little bit creative way, introduces an MP CARES fund, and make some sort of a provision wherein the corporates can donate to MPLAD as part of the CSR activity and get tax deduction under Section 80 of the Income Tax Act, this will help make up for the Rs.5 crore lost to the MPLAD that has been taken away.

The second point is about rationalisation of tax collection targets on officials. The budget provided for an increase in tax collection of 12% from the last fiscal year and, therefore, tax officials have even higher tax collection targets than they got for last year.

The tax collection targets should be reviewed and reduced because the economy is suffering.(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I am the only Member speaking from my party. Please give me at least seven minutes to speak.

HON. CHAIRPERSON: Are you the only Member speaking from your party?

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Yes, Sir. Only me.

HON. CHAIRPERSON: No problem. You have to conclude it.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, the Finance Minister herself admitted yesterday that the Centre's Gross Tax Revenue collections are almost Rs.1.6 lakh crore, which is down about 30 per cent compared to last year. So, it is time that we reviewed the targets that are given.

The third point is regarding making GST payment on receiving payment and not when invoice is raised. Currently, GST is payable when a vendor raises an invoice. Raising an invoice does not mean payment is received. So, I request that this point should be taken into consideration.

The fourth point is that the Centre should not misuse amendment to GST Act to delay payment of GST compensation. Section 7 of this Bill allows the Centre to extend time limits for actions which cannot be completed because of *force majeure*. While this provision is welcome because it will bring relief to businesses, it should not be misused by the Centre to delay its commitment of paying GST compensation to the States. Andhra Pradesh is already owed more than Rs.4000 crore as GST compensation. Our is already a deficit State. So, I request the hon. Finance Minister to also take it into consideration.

The fifth point is regarding increasing reliance on the direct taxes. The share of indirect taxes has been increasing for many years and it has reached 50 per cent in the financial year 2019 as opposed to 43 per cent in the financial year 2011.

The combined share of Customs and Excise Duties and Value-Added Tax has reached an all-time high of 10.5 per cent of GDP with the previous high of 10.1 per cent in 1987-88. This is also when the Service Tax was hiked steadily to 18 per cent under GST from

12.4 per cent in 2014. This is troubling because indirect taxes actually penalise the poor and the middle class more than the rich. So, I hope the hon. Minister will look into it.

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, I am concluding in a minute.

With regard to Andhra issues, I would like to state that a total of almost Rs.3622 crore are due to the State of Andhra Pradesh towards GST compensation. GST compensation for almost Rs.237 crore for the financial year 2017-18 is also due. I hope it is done sooner than later.

A pending amount of Rs.1728 crore to AP State Civil Supplies Corporation is also due. Early release of pending amount will help to clear pending payments to farmers under Minimum Support Price. The amount will be transferred to the accounts of the farmers; that is, what the aim of the Central Government right now is.

Finally, under the 14th Finance Commission, a total grant of ₹ 3,635 crore for five years was allocated to urban local bodies. An amount of ₹ 581 crore are still pending from the Government of India. The State Government has provided all the utilisation certificates and everything. I hope, the hon. Minister will take all this in right spirit and try to release it as soon as possible so that the aim of the Central Government will match the aim of the State Government in transferring the amount to the needy people.

Sir, we once again support this Bill. Thank you very much.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, आपने मुझे कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलना चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी और पूरे देश में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप करदाताओं को सभी क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालनों को पूरा करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। करदाताओं के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 24 मार्च, 2020 को कोविड महामारी के कारण सभी क्षेत्रों में वैधानिक और विनियामक अनुपालन के संबंध में कुछ राहत उपायों की घोषणा की और घोषणाओं को लागू करने के लिए यह अध्यादेश प्रस्तावित किया गया।

इसमें आयकर अधिनियम, 1961, कुछ वित्तीय अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 शामिल हैं।

आधार को पैन कार्ड के साथ जोड़ने की 30 जून, 2020 की तारीख को 31 मार्च तक, 2021 तक कर दिया गया। आयकर अधिनियम 80 (घ) के लिए विभिन्न भुगतान की तारीख को 30 जून, 2020 से 31 जुलाई तक इस ऑर्डिनेंस में बढ़ाया गया है। विभिन्न प्रत्यक्ष करों और बेनामी कानून के अंतर्गत प्राधिकरणों द्वारा आदेश पारित करने या नोटिस जारी करने की तारीख को 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया गया।

‘विवाद से विश्वास’ योजना के अंतर्गत भी तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दिया गया था। इसलिए, योजना के तहत घोषणा और भुगतान 30 जून तक किया जा सकता था और अतिरिक्त भुगतान के बिना की तारीख को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है। मार्च, अप्रैल और मई, 2020 में देय उत्पाद शुल्क रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून, 2020 और आगे 31 दिसम्बर, 2020 तक कर दिया गया है।

अध्यादेश में पीएम केयर्स फंड को प्रधान मंत्री राहत कोष के समान बनाकर उपचार प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन किया गया। इसलिए, पीएम केयर्स फंड को इसमें शामिल किया गया है।

दान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत 100 प्रतिशत कटौती का पात्र होगा। इसके अलावा सकल आय के 10 प्रतिशत की कटौती की सीमा भी पीएम केयर्स फंड में किए गए दान के लिए लागू होगी। टीडीएस एवं टीसीएस कटौती का ब्यौरा और प्रमाण-पत्र 2019-20 की आय रिटर्न तैयार करने में जरूरी दस्तावेज होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रत्यक्ष और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण की ओर से आदेश पारित करने और नोटिस जारी करने की समय-सीमा को 31 दिसम्बर, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जनता की कोरोना संक्रमण के संकट के मद्देनजर आयकर जमा करने, जीएसटी के अनुपालन, पैन को आधार से लिंक करने और अन्य सांविधिक प्रावधानों को पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा की है।

अंत में, मैं अपने दल की ओर से इस जन कल्याणकारी विधेयक का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सीधे तौर पर आकृष्ट करना चाहूँगी कि वित्तीय प्रबंधन के मामले के चलते सरकार ने आम जनता से अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन वह अच्छे दिन सिर्फ अपने लिए और साथ ही साथ अपने कॉर्पोरेट घराने के दोस्तों के लिए लेकर आई है। इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूँगी कि पूर्व में भी एक अध्यादेश लाकर सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों की चिन्ता करते हुए उनकी 30 प्रतिशत की टैक्स दर को घटा कर 22 प्रतिशत किया था और फिर उसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। उसके बावजूद सरकार ने देश के गरीब, मजदूर और किसानों के हित के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएँ। न तो किसानों की कर्ज माफी हुई है और न ही उनके खेतों में लगने वाले इनपुट्स के ऊपर सब्सिडी को बढ़ाया गया है।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि जो इंकम टैक्स लिमिट 5 लाख से कुछ शर्तों के साथ 7.5 लाख तक कर दी गई थी, उस स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख तक किया जाए, जिससे आम आदमी को बढ़ी हुई महंगाई झेलने में कुछ सुविधा मिल सके। महोदय, सरकार द्वारा सदन में 1 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय बजट पेश करते समय प्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों को निपटाने के लिए “विवाद से विश्वास योजना, 2020” शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा। इस रकम में किसी तरह का ब्याज, जुर्माना या दण्ड आदि नहीं चुकाना होगा। इससे देश के अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के समाधान मिलेंगे और सरकार को लाखों-करोड़ों रुपये की मदद भी मिलेगी। सरकार के पास पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस योजना के तहत करदाताओं को मुकदमे की कष्टदायक प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी और करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ेगा। यह सरकार का एक सराहनीय कदम है, लेकिन टीडीएस में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276बी के अन्तर्गत करदाता पर जुर्माना तथा जेल भेजने का प्रावधान है। इसमें करदाता द्वारा टैक्स, ब्याज आदि जमा कराने के बाद भी सिर्फ इसलिए मुकदमा चलाया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पैसा जमा नहीं कराया गया था इसलिए उससे संबंधित या उसके जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो केस चल रहे हैं। पहला है, आई.ए. नम्बर 49138/2020 और दूसरा है, डब्ल्यूपी(सी) नम्बर 940/2017। इन दोनों केसों में पहला नोएडा अथॉरिटी व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश सरकार उपक्रम, जिसमें प्लॉट बायर्स पर 11 प्रतिशत ब्याज प्लस तीन प्रतिशत को मिलाकर 14 प्रतिशत का ब्याज जो तिमाही में कैपिटलाइज्ड होता था, जो करीब 4 साल में 40 प्रतिशत के आस-पास था, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट 8.5 प्रतिशत तक कर दिया, जो पूरे देश के बैंकों के 6 माह के मोरेटोरियम पीरियड के ब्याज माफी के बारे में है, जिससे भारत सरकार बचने की कोशिश कर रही है। उस केस में भारत सरकार ने सभी लोन होल्डर्स के लिए अच्छी पैकेज डील लाने को कहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

HON. CHAIRPERSON : Madam, please wind up.

SHRIMATI SANGEETA AZAD : I am concluding within a minute. मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि “विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020” के तहत जब सरकार ने टैक्सों पर लगने वाले ब्याज या पेनल्टी या दण्ड हटाए हैं, ठीक उसी तरह से टीडीएस की कुल रकम और ब्याज पर जो अलग-अलग पेनल्टी लगती है या जेल भेजने का जो प्रावधान है, उससे भी मुक्त किया जाए।

सभापति महोदय, भारत के पास पहले ही पीएमएनआरएफ फंड के नाम पर सरकारी राहत कोष मौजूद है। महोदय, यह पूरा देश प्रधान मंत्री जी का है और देश का पूरा पैसा भी प्रधान मंत्री जी का है तो पीएम केयर फंड का गठन क्यों किया गया? इस फंड में कितना धन जमा हुआ और किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई, उसका कोई ब्यौरा आम जनमानस के पास नहीं है और न ही कोई इस पर सवाल उठा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महामारी के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियाँ अपने हित में कार्य करने के काम में लगी हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माँग करती हूँ कि सरकार देश हित, किसान हित और व्यापार हित में तुरन्त कार्रवाई करे, जिससे कोरोना महामारी के समय में लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को तुरन्त संभाला जा सके।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON: Please be very brief.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO: Yes, I will be very brief.

HON. CHAIRPERSON: You spoke on the same subject yesterday.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO: Yes.

कल हमने मोस्ट ऑफ दि प्वाइंट्स पर बात की, लेकिन मैं उनको एक दफा और रिपीट करना चाहता हूँ। कोविड के टाइम में जिस तरह से टैक्सेस में रिलैक्सेशन दिया है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी डिटेल में जाकर काम किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

दूसरा, कोविड के टाइम में हम लोगों ने जिस तरह प्राब्लम्स को फेस किया है, कल जीएसटी पर काफी डिटेल में डिसकस किया है, उतने डिटेल में मैं डिसकस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टेट्स की जीएसटी के बारे में सोचें। मेनली, तेलंगाना के पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये जीएसटी और जीएसटी-आईजीएसटी, टोटल मिलाकर नौ हजार करोड़ रुपये देने हैं, इसके बारे में आप थोड़ा देख लें। इसी के साथ-साथ, फाइलिंग वगैरह के लिए जो टाइम एक्सटेंड किया गया है, वह बहुत अच्छा तरह से हुआ है, मगर इसमें जिस तरह कोविड का इफेक्ट सभी लोगों के ऊपर पड़ा है। इसमें प्राइवेट कॉलेजेज और प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, प्राइवेट कंपनीज के इम्प्लायर्स आदि सभी लोगों पर कोविड का इफेक्ट पड़ने की वजह से, उनकी सैलरीज पर भी असर पड़ा है। उनमें से कुछ लोगों ने व्हीकल लोन ले लिया है, कुछ लोगों ने घर का लोन ले लिया है। इन लोन्स के ऊपर मिनिमम सिक्स मंथ्स का इंटरैस्ट फ्री मॉरेटोरियम देना चाहिए, उसे एक्सटेंड करना चाहिए। एजुकेशन में मेजॉरिटी प्राइवेट लोगों की है, मेजॉरिटी ऑफ दि कंपनीज प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी सैलरीज में भी कुछ डिडक्शन्स किए गए हैं। इसलिए उनके इम्प्लायमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्सेस में उन लोगों को भी थोड़ा रिलीफ दें।

इसी तरह से, मेरी फाइनल रिक्वेस्ट है कि इसमें पीएमकेयर्स फंड के लिए जिस तरह से प्रॉविजन किया गया है, उसी तरह से सीएमकेयर्स फंड के लिए भी प्रॉविजन करना चाहिए, ताकि जो भी स्टेट में कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, अगर कोई स्टेट के लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वह कर सकेगा। पीएमकेयर्स फंड के लिए जो प्रॉविजन रहेगा, उसी तरह से हर स्टेट में सीएमकेयर्स फंड के लिए भी प्रॉविजन होना चाहिए। अभी अगर देखें तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसे डायरेक्ट फेस किया। अभी कोविड का फ्रण्टरनर, आगे रहकर सभी स्टेट्स ने लोगों को प्रोटेक्ट किया है। इसलिए सीएमकेयर्स को भी इसमें लगाकर देने के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी पैसा उधर देना है, जिस तरह से कंपनी का सीएसआर फण्ड है या अन्य फण्ड है, जिस तरह से आपने सेक्शन 80सी में टैक्स रिबेट दिया है, उसी तरह से सीएमकेयर्स को भी देना चाहिए।

इसी बात के साथ, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, the provisions in the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, be it for extension of various time limits, reduction of interest, waiver of penalty, and prosecution for delay in payment of taxes or levels, truly reflect the need of the hour.

In fact, I would request the Government to extend the time limit now proposed under several provisions further till the end of the financial year 2020-21. But, what percentage of the population pay income tax in this country? Just 1.46 crore people. That is, just about one per cent of the total population.

I am forced to ask the Government: why are they not showing the same interest for the vast majority of the 99 per cent people of this country, who are more severely affected by this pandemic? The Government may say that they have given free ration for all eligible families for six months. So far so good.

But newspaper reports suggest that hunger deaths are still happening across India, as several deserving families are out of the PDS system without a ration card. Is it possible to live with only rice or roti without cereals, vegetables, oil and other essential commodities, medicines, clothes etc.? From where will people get all these items without money? If the proposal of my party, CPI(M), for directly crediting Rs.7,500 for all households outside the Income Tax bracket for six months had partially been accepted, poor people of this country would have got at least one full meal a day. I request the Government to heed this genuine demand at least now.

The story does not end here, Sir. The Government had announced a moratorium on the loans taken from the banks with much fanfare and common people believed that they will get a breather during COVID-19. But this Government betrayed the people of this country by refusing to waive the interest on loans even after the hon. Supreme Court empathising with the loanees.

The Government says that it will affect the financial health of the banks. Was this Government sleeping during the last five years when 38 wilful defaulters including Vijay Mallya and Neerav Modi fled this country appropriating millions of dollars? If this Government has at least scant regard for the ordinary people of the country, then I would request it to show courage to stand firm and direct the Reserve Bank to waive the interest during the moratorium period.

Now, let me come to the PM CARES Fund. I do not have a better expression to qualify this Fund, which is nothing but PM Citizen Annoyance and Ridicule in Exploitative Situations Fund. This is like a black hole, which attracts everything into it but nothing comes out of it. It is not a joke! This Government denied the Kerala Government to receive foreign aid for rehabilitation after the 2018 floods. ...(Interruptions)

I believe that to escape answering the issue of PM CARES the hon. Finance Minister played a drama by entrusting the job to the MoS who deliberately diverted the entire discussion creating furore in the House yesterday. What about the PM CARES Fund? No one knows the complete composition of the Trust. No one knows how much money has come as contribution till date. No one knows who has contributed to it. No one knows what the Government is going to do with the funds available in it. In Malayalam there is a very famous film called *Vasanthiyum, Lakshmiyum pinne Njanum*, which means comprised of me, my brother and my sister all of whom are not responsible to anyone outside. Similarly, this Trust is an embodiment of opaqueness and high-handedness of this Government. This Government acts like it has something to hide from the people of the country in this regard.

Lastly, I would like to read a conclusive portion of the hon. CM's letter written to the PM. I quote : "I request you to intervene to correct this inequity, which is, in principle, against the principles underlying cooperative federalism and in practice adds to the fiscal stress of the States. Necessary changes may be brought in to include contributions to the Chief Ministers' Distress Relief Funds also eligible as expenditure under Corporate Social Responsibility." I conclude my speech. Thank you.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill.

Sir, this is one more Bill, which the Government has brought as Ordinance during COVID-19 period with an objective to give some relaxations for submission, easing some compliances, extension of time limits under CGST, and exemption of donations made under PM CARES Fund. Under Vivad-se-Vishwas Act, hon. Finance Minister also proposed to extend the date for payment without any additional amount till 31st December, 2020. These are all welcome measures. Hence, I, on behalf of my Party, support this Bill and justify the Ordinance brought by the Government.

Sir, with your permission, I wish to make a few observations on some of the provisions of the Bill and wish to make a few suggestions for consideration of the hon. Finance Minister. The real estate sector has got the biggest drubbing due to this pandemic. It is the second largest provider of employment after agriculture and also contributes more than 10 per cent to the GDP. There is no doubt that the Government of India has taken some measures, but the main demand of the real estate sector is to give industry or

infrastructure status. Secondly, GST is not giving them input tax credit. As a result of this the burden is falling on the home buyers. Will the hon. Finance Minister restore input tax credit and give industry or infrastructure status to the real estate sector?

What are the reasons that despite accommodative monetary policy stand of the Government of India, banks, instead of lending, are parking their reserves with the RBI? If that is so, what is the point of having such a monetary policy and how would RBI discourage and dis-incentivize banks to park their reserves with the RBI? Can we have a zero per cent Reverse Repo Rate, which forces banks to lend to kickstart the economic cycle? This is an issue, which the hon. Finance Minister should answer.

I would also like to mention the point regarding PM CARES where I certainly believe there should be more transparency in use of PM CARES Fund created to deal with the pandemic. The Army, Navy, Air Force, Defence PSUs and employees of the Defence Ministry have collectively donated Rs. 500 crore. When donations are made from taxpayers' funds by Government bodies, then public has the right to know where it is going. This is where the problem lies. It is lack of transparency.

The Central Government has stated that CAG will not audit the Fund. Rather, it will be audited by independent auditors whereas I believe that PM CARES Fund has been created with a just cause to deal with the pandemic. So, it should not be dealt with this kind of controversy.

If the Central Government has nothing to hide regarding this, let the CAG audit this and make it more transparent.

Regarding GST for the States, I do not want to argue with the point *force majeure* which is constantly used to explain this kind of situation. Any kind of agreement, whatever be the nature of the business or nature of the parties, this clause is already there but what

kind of chain reaction will the Central Government create if it is saying to the States that because of this *force majeure* clause, we can't pay you CGST whereas it is their responsibility? So, with a big heart, in this kind of difficult time, the Central Government should come forward and create an example. If the companies come tomorrow and say to the farmers that because of the *force majeure* clause, we can't pay you, it can lead to a very bad chain reaction in the country also, which we might not be able to stop. That is why the Central Government should rethink the GST revenues which they have to give to the States, especially with the Andhra Pradesh Government, which is going under a real financial crisis; it is necessary for the Central Government to interfere and give sufficient funds so that we can get back on track.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I welcome the Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Bill, 2020 on behalf of my party, AIADMK. I am confident that under the stewardship of our Prime Minister, the PM CARES Fund will be utilised for the best benefit of our citizens. In this context, I want to make some requests to the hon. Finance Minister, through you. As already requested by many State Governments, including the Government of Tamil Nadu, the Chief Minister's Public Relief Fund should also be made eligible for receiving donations which are eligible for CSR funds on a par with PM CARES Fund.

States are already receiving funds from the PM CARES Fund for COVID-19 for relief activities including the supply of ventilators and for financing relief for migrants. We welcome this. On the expenditure already incurred by States before July, I would request that the migrants should be made eligible for reimbursement under the PM CARES Fund.

One of the most significant expenditures being incurred by the States for controlling COVID-19 is the cost of testing, especially RTPCR testing, which is of the gold standard. The number of active cases in Tamil Nadu has declined since July 2020 consistently mainly because the State uses only RTPCR testing protocol exclusively. Currently, more than 80,000 tests are performed per day at a cost of nearly Rs.4 crore per day. Hence, I would like to request that at least 50 per cent of the cost of testing should be covered under the PM CARES Fund as it is the most effective strategy to control the spread of COVID-19 virus.

Finally, the Central Government should do more to support such initiatives by States and nurture them instead of using the National Infrastructure Investment Fund as a competitor which takes over both possible investors and investment opportunities. There is space for all these funds to thrive and the efforts of the States should be supported and encouraged.

With these words, I support the Bill.

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज किसानों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम के अंतर्गत रॉ कॉटन खरीदने पर जीएसटी भरना पड़ता है । उदाहरण के तौर पर उनको 10 करोड़ रुपये की कॉटन खरीदने पर 25 लाख रुपये सीजीएसटी एवं 25 लाख रुपये एसजीएसटी, कुल 50 लाख रुपये भरना पड़ता है । कपास के कॉटन बॉल्स बनाने के बाद अगर पांच करोड़ रुपये का माल दूसरे राज्यों में बेचने पर आईजीएसटी 25 लाख रुपये भरना पड़ता है और सीजीएसटी क्रेडिट से ऑफसेट हो जाता है । ऐसे में हमारे पास 25 लाख रुपये का क्रेडिट जीएसटी के खाते में जमा रह जाता है । अगर बचे हुए पांच करोड़ रुपये की सेल अपने ही राज्य में करते हैं, तो भी साढ़े बारह लाख रुपये सीजीएसटी और साढ़े बारह लाख रुपये एसजीएसटी उनको भरना पड़ता है । ऐसे में सरकार के पास 25 लाख रुपये जमा होने के बावजूद उनको अलग से भरना पड़ता है । ऐसे में बहुत बड़ी पूंजी ब्लॉक हो जाती है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करती हूँ कि एक बड़ी रकम ब्लॉक होने से इसका बड़ा असर कृषि उत्पादन की खरीद पर पड़ता है । कॉटन पर लगने वाले आरसीएम को हटाया जाए और केवल बिक्री पर ही टैक्स लगाया जाए । कम्पोजिशन डीलर को भी जूने रिटर्न में लेट फीस की माफी मिले और अन्य व्यापारियों को भी पेंडिंग रिटर्न्स में लेट फी की माफी दी जाए ।

कम्पोजिशन डीलर को वर्ष 2017, 2018 तथा 2019 के जीएसटीआर 4 के रिटर्न के लिए भी लेट फी माफ की जाए । कम्पोजिशन डीलर जिनके डेढ़ करोड़ से कम के टर्न ओवर में ऐसे छोटे व्यापारियों का समावेश है, उन्हें 10,000 रुपये लेट फी लगाई जाती है, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपये से ऊपर के व्यापारियों को सिर्फ 500 रुपये लेट फी लगाई जाती है ।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से विनती करती हूँ कि बड़े व्यापारियों के साथ ही छोटे व्यापारियों को भी इसमें काउंट किया जाए, जिन्हें 10,000 नहीं, बल्कि 500 रुपये लेट फी लगाई जाए । कोविड-19 महामारी से पूरा देश रुक गया है ।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, बस एक मिनट । इससे छोटे व्यापार के साथ ही बड़े व्यापार तथा उद्योग रुक गए हैं । इस महामारी के कारण जून तक देश में कोविड के चलते जीएसटी में छूट दी गई है । फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने जून तक छूट दी है, उसे एक साल तक और बढ़ाया जाए, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और वे अपने व्यापार को बंद होने से रोक पाएंगे । इससे बेरोजगारी में कमी होगी । इस महामारी में पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिसके विरोध में विपक्ष दल जो भी बोल रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से सरकार ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस आदि हर मेडिकल फैसिलिटी राज्यों को दी है and I appreciate जब लोग मर रहे हैं, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है still the people in Vidarbha and Maharashtra are dying because of non-availability of oxygen...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्रीमती नवनित रवि राणा : महोदय, बस एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से महाराष्ट्र को यह सारी फैसिलिटीज़ पहले ही सबसे अच्छी दी गई थीं, फिर से और मजबूती से दी जाए, क्योंकि इसी के कारण हम अपने महाराष्ट्र की जनता को जिन्हें बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, उन्हें यह प्रोवाइड करके, हम उनकी जान को बचा सकें। I definitely support this PMCARES Fund and this Bill. I thank you so much for bringing this Bill to support the common person.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I oppose the Bill. The accountability of the Government towards the people cannot be compromised even at the time of health emergency or pandemic.

Through this Bill, the Government is amending the Income Tax Act to provide the same tax treatment to PMCARES Fund as available to Prime Minister National Relief Fund. Here the issues are manifold and the Government is not willing to answer any of the issues.

Sir, what was the need for a new fund as we already have an established PMNRF especially when the mode of utilisation of this Fund is not known at all.

Why is the Prime Minister's Office refusing to divulge any information about the PMCARES Fund's utilisation? I think the reason is that it is not a public authority under the RTI Act.

Whether the Fund is public or private, no information has been made public as the Trust Deed is not available to the public.

If the PMCARES Fund does not have any Trust Deed, it should be classified as 'Artificial Juridical Person' under the provisions of the Income Tax Act, and the statutory audit by outside agency as well as C&AG audit along with the filing of return of income and statement of accounts are mandatory. It should be brought under the purview of the Right to Information Act. All

statutory provisions should be applicable as that of other Government agencies.

Sir, on 28th March, the Ministry of Corporate Affairs issued a circular saying that the donations made to PMCARES will qualify for CSR obligations.

Here, a possibility is that the Ministry may have used its power to facilitate big corporate houses to use their unused CSR funds through the PM-CARES Fund. The downside of this is that non-profit organisations working at the grassroots level may not get funds this year.

Sir, the issue of whether the PM-CARES Fund qualifies as a public authority under the RTI Act is immaterial. If any files related to the PM-CARES Fund are held by the PMO or are under the control of the PMO, which is a public authority, it is duty bound to furnish the information asked as per the provisions of the RTI Act.

Sir, I further request the Finance Minister to kindly amend the relevant provisions of Section 36(1)(va) and 43B(b) of the Income Tax Act by allowing the remittance of PF/ESI employee's contribution as a deduction, if the same was paid before the due date for filing return of income.

Lastly, the State of Kerala has not so far received any substantial help from the PM-CARES Fund or from the Central Government during the COVID-19 pandemic period. Also, the suspension of MPLAD Fund has destroyed the idea of improving governance at the micro level.

Thank you.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): माननीय सभापति जी, टैक्सेसन एंड अदर लॉज की चर्चा में लगभग सभी दलों के सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। अपनी बातें रखते समय उन्होंने काफी चर्चा पीएम केयर्स फण्ड पर भी की।

18.42 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश पर कुछ समय में मैं अपनी बात रखूँगा ताकि जिन माननीय सदस्यों की कुछ शंकाएँ हैं, उनको मैं अवश्य दूर कर पाऊँ। उसकी स्थापना, पारदर्शिता, 100 परसेंट एग्जैम्पशन की बात, मिसयूज यानी धन का दुरुपयोग न हो, खर्चों के ब्यौरे या सरकारी खजाने की बातें यहाँ पर आईं और इसके डायवर्जन की बातें भी आईं। आखिरकार यहाँ के सदस्यों के मन में यह बात आई क्यों? क्या पूर्व में कुछ ऐसा घटा, जिसके कारण इनके मन में कुछ शंकाएँ हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि जितने कानूनी रूप से इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, जो इस देश का कानून है, उसके अनुसार इसका गठन हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ अगर किसी पर काम किया जा रहा है, तो वह पीएम केयर्स फण्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? 1908 का जो कानून है, उसके अंतर्गत यह ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस सदन के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य, देश के लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उस समय में यह सोचा गया कि इस आपातकालीन और संकट की स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स ट्रस्ट का गठन किया गया ताकि देश की चिन्ता करने वाले चाहे वे नेता, अभिनेता, अमीर, गरीब, कामकाजी, नौकरी-पेशा वर्ग के लोग, उद्यमी या किसी संस्थान के लोग हों, अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार वे जितना चाहें, उसमें दान कर सकते हैं। किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया गया। केवल प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए ताकि वे अच्छी तरह से देश की सेवा कर सकें, उसके लिए प्रयास किया गया।

अब तक इसमें किन लोगों ने दान दिए हैं, मैं इस बात की खुशी प्रकट करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो इनिशियल कॉर्पस है, वह सवा दो लाख रुपये किसी ने दिए, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी ईमानदारी की कमाई से दी है।

उनकी माता जी ने इसमें अपनी ओर से दान दिया है, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई जी की माता जी ने भी इसमें अपनी ओर से दान दिया है। इसके अलावा 3,100 रुपये वाराणसी के दिव्यांग और कुछ रोगियों ने भीख से इकट्ठे कर के दिए हैं। सर, भिखारी काली देवी तक ने पांच हजार रुपये इसके लिए दान दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर से 60 साल की देवकी भंडारी जी ने दस लाख रुपये पीएम केयर फंड में दिए हैं।

सर, यही नहीं, उत्तर प्रदेश के चंदौली के ताजपुर की दिव्यांग बेटी प्रियंका ने भी अपना पेंशन का सारा पैसा दे दिया। मेरठ के रिटायर्ड आर्मीमैन मोहिंदर सिंह जी ने अपनी पेंशन के 15,11,000 इसके लिए दे दिए। मैं बहुत नाम पढ़ सकता हूँ, खिलाड़ियों से लेकर जो बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबने इसमें पैसा दिया है। मैं एक ही शब्द में इन सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, कोरोना से हमारी लड़ाई में इन सबने अपना योगदान दिया है।

सर, अब इसके गठन का प्रश्न आता है। जैसा कि मैंने कहा, वर्ष 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में इसका गठन हुआ और जिस उद्देश्य के साथ हुआ, मैंने उसकी भी बात कही थी। इसके ऑडिट को लेकर चर्चा की गई। इसमें एसएआरसी एंड एसोसिएट इन्डिपेंडेंट ऑडिटर है, जो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिट करता है, वही ऑडिट यहां पर भी करता है। मैं आपसे एक और बात कह दूँ। आपको इसमें कितने भी प्रश्न पूछने हों, पीएम केयर्स की जो

वेबसाइट है, उस पर 'एफएक्यूज' और 'अबाउट' में अधिकतर प्रश्नों के, या मैं कहूँ कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर हैं। मुझे लगता है कि कोई उसे देखकर नहीं आया, इसलिए शायद मन में शंकाएं भी होंगी, जिन्हें मैं जरूर दूर करना चाहूंगा।

सर, लोगों को लगा कि यहां से पैसा कहीं और न चला जाए, इसके सदस्य कौन होंगे। मैं देश की जनता को भी इस संसद के माध्यम से और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसके सदस्य हैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। ये सारे एक्स-ऑफिशियो मॅबर्स हैं। आज मोदी जी प्रधान मंत्री हैं, माननीय निर्मला जी हमारी वित्त मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं तो आज वे इसके सदस्य हैं। आज से नौ-दस साल बाद अगर इनकी जगह कोई और होगा तो वह भी इसका सदस्य होगा। यह किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। इनके मन में शंका है, क्योंकि व्यक्तियों को इसमें रखा जाता था, आज उन व्यक्तियों के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसमें स्थान नहीं है। इसमें डिजीजन मेकर्स कौन होंगे? इसमें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कमेटी बैठेगी और इस पर निर्णय करेगी कि इसका पैसा कहां-कहां खर्च होगा। इसके ट्रस्टीज के साथ जो बाकी नॉमिनेटेड मॅबर्स हैं, वे अलग-अलग फील्ड से हो सकते हैं, जैसे साइंस, लॉ, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, किसी से भी हो सकते हैं। इस तरह के बड़े नामी-गिरामी लोगों को भी इसमें रखने का अवसर दिया गया है।

सर, यह कोई पहला ऐसा ट्रस्ट नहीं है, जिसको पहली बार कोई टैक्स डिडक्शन दी गई हो। इससे पहले भी बहुत सारे ट्रस्ट्स को टैक्स डिडक्शन दी गई है। यही नहीं, इसमें एफसीआरए की भी अनुमति ली गई, ताकि कोई विदेशों से पैसा देना चाहे तो दे सके। मैं आपको पढ़कर बता दूँ, फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, 2010 का जो सेक्शन-50 है, वह स्पष्ट तौर पर कहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आप किसी भी संस्था या एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ओर से, एफसीआरए यानी उसमें अगर विदेशी पैसा आना हो तो उसकी अनुमति दे सकते हैं और बिलकुल नियमों के अनुसार इसको अनुमति दी गई, ताकि भारत के लोगों को कोविड-19 से लड़ाई लड़ने में कोई कमी न आए, इस मंशा के साथ इस पर काम किया गया।

सर, क्या यह पहला ट्रस्ट है? 49,483 ऐसे रजिस्टर्ड थे, जिनको एफसीआरए में एग्जम्पशन मिली थी तो पीएम केयर्स पर क्यों चिंता व्यक्त की जा रही है? मैं आगे कुछ और बातें कहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सबके मन में यह भावना आ रही थी कि ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि सबके मन में था कि पीएमएनआरएफ था तो क्यों था? पीएमएनआरएफ फंड क्या है? यह प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड है। यह कब आया? वर्ष 1948 में आया। कैसे आया? उस समय

के हमारे प्रधान मंत्री महामहिम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक शाही हुक्म जारी किया कि ट्रस्ट का गठन हो। सर, यह वर्ड ऑफ माउथ था, जैसे मैं यहां कुछ कह दूं और वह हो जाए, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन न हो, क्योंकि कानून में या तो विश्वास नहीं था या कानून को कभी मानते नहीं थे।

वर्ष 1948 से लेकर 2020 तक अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम केयर्स फंड तो फिर भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है, सेक्शन 12ए में भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, 80जी का एग्जेंप्शन भी लिया है, एफसीआरए का एग्जेंप्शन लिया है और सीएसआर फंड में उसको अनुमति भी दी गई है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में क्या था? सर, केवल गठन की बात नहीं है, उसके ऑडिट के लिए भी एक कंपनी थी, जो वर्षों तक ऑडिट करती रही। उसका पूरा नाम भी बता देता हूं, वह ठाकुर एंड एसोसिएट्स करके एक कंपनी थी। उनको यह लाभ मिला कि जो वह करते थे और वह कई अन्य के भी ऑडिट करते होंगे तो उनको राज्यपाल भी बनाया गया और कई अन्य पदों से भी नवाजा गया। उसमें क्या-क्या किया जाता था? सर यही नहीं, उसके सदस्य कौन-कौन थे? जो प्रधानमंत्री होंगे, वह उसके सदस्य होंगे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, वह प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के सदस्य होंगे, लेकिन उससे भी पहले सदस्य कौन होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेजिडेंट होगा, वह उसका सदस्य होगा।

सर, मैं प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं और मैं तो केवल अभी नाम गिना रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी प्रेजिडेंट होंगे, वह होंगे। ... (व्यवधान) अब उनका अध्यक्ष कौन होता है? जब 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, तब भी कौन अध्यक्ष रहता है, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता हूं। वह तो एक परिवार ने पकड़ कर रखा है।

सर, मैं उस पर दूसरी बात कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे, टाटा ट्रस्टी का नॉमिनी एक सदस्य होगा और एक इंडस्ट्री का सदस्य होगा। हमने पीएम केयर्स फंड में स्पष्ट तौर पर कहा है कि पीएम, एफएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी पीएम केयर्स के होंगे जो व्यक्ति से नहीं जो उस समय उस पद पर आएगा, केवल वही उसका सदस्य हो पाएगा। यह पारदर्शिता हम लोग लेकर आए हैं। हमने ऑडिट करवाया है और हमने उसे बदलने का काम किया। पहले ही दिन से वर्ष 2019-20 का जो हमने खर्चा किया है, उसका पूरा लेखा-जोखा, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है।

मैं पूछना चाहता हूं कि एक परिवार से जुड़े हुए जितने ट्रस्ट हैं, क्या उनका कोई ऑडिटेड स्टेटमेंट है? क्या जनता को उनकी जानकारी है कि वह कितना खर्चा करते हैं, कहां पर खर्चा करते हैं और किन पर खर्चा करते हैं?... (व्यवधान)

सर, मैंने तो एक परिवार कहा था, लेकिन कांग्रेस वाले एक परिवार वाली बात को फटाफट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका मतलब है कि मुझे नाम लेने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी। यही नहीं, वर्ष 1948 में अगर प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड बना, लेकिन सेक्शन 12ए में भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया ... (व्यवधान)। अभी तो मैंने शुरुआत की है। मैं इस पर दो लाइनें कहना चाहता हूँ:-

“ख्याली पुलाव से इनका रिश्ता है बड़ा पुराना,
गफलत एक उम्र तक थी कि कदमों में है जमाना,
खुदगर्ज झूठ की उम्र होती है बड़ी छोटी,
आपका हर बार पकड़े जाना फिर बहाना बना देना।”

मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि पीएम केयर्स फंड में कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं मिलता है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग है तो इस पर एक रुपया नहीं मिलता है।... (व्यवधान) प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो है और जैसा मैंने पहले कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इसका 12ए में रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ? सर, बगैर ट्रस्ट रजिस्टर हुए इसका रजिस्ट्रेशन हो गया।

क्या इन सभी माननीय सदस्यों ने इस पर पहले कभी सवाल खड़ा किया है? वर्ष 1973 में 12ए के तहत रजिस्ट्रेशन करवायी गयी। कितने सालों के बाद, 25 सालों के बाद। 64 वर्ष के बाद वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का इन्होंने पेन कार्ड और पेन नम्बर लिया। दूसरी ओर पीएम केयर्स फंड में जितनी भी इस तरह की प्रक्रियाएं हैं, वह सभी हमने पूरी की हैं और किसी भी कानून को तोड़ा नहीं गया है। हमने सभी कानूनों के अंतर्गत काम करने का काम किया है।

दूसरा, इसका परिचालन है। मोदी जी जैसे ही पारदर्शिता और सुशासन में बहुत विश्वास रखते हैं और उतनी ही पारदर्शिता और सुशासन से काम किया जा रहा है। इसको अधिक व्यापक, सख्त और स्ट्रक्चर्ड वे में रखा गया है। यही नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, इसकी सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। इसके ऊपर जितने आरोप आपने यहां लगाए हैं, आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और सभी जगह उनको खारिज किया गया। किन-किन विषयों को लेकर गए? मैं एक बार उन विषयों पर जरूर आना चाहता हूँ। अप्रैल, 2020 में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस द्वारा हेडेड बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा - PM CARES Fund is constitutionally valid. इसको संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट ने भी दी। दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाली गयी कि पीएम केयर्स फंड में जो इंफोर्मेशन है, वह आरटीआई एक्ट में दी जाए। उसको

उन्होंने निरस्त किया, उसको डिसमिस किया। उसके बाद अगस्त, 2020 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि पीएम केयर्स फण्ड का सारा पैसा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड में दिया जाए। वहां भी कहा गया कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फण्ड में राज्यों और केन्द्र का पैसा जाता है। आपदा के समय में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 11000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फण्ड में दिया गया, जो कि बजटरी सपोर्ट से था, पीएम केयर्स के लिए एक भी पैसा बजट से नहीं दिया गया है। यह बात भी मैं देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। यही नहीं, यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसलिए भी उसमें कहा गया कि इसमें सीएजी के ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसके लिए सीएजी का ऑडिट मांगते हैं तो एक परिवार के जितने ट्रस्ट हैं, क्या उन सारे ट्रस्टों का सीएजी ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं? ...(व्यवधान) सर, मतलब की बात इनको सुनाई नहीं देती है।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें और भी हैं, जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। देश की ईमानदार जनता ने अपनी मेहनत की कमाई पीएम केयर्स फण्ड में दी है। इससे मोदी जी के हाथ मजबूत किए हैं ताकि देश की गरीब जनता को कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। सर, कुछ पार्टियों ने इस पर सवालिया निशान खड़े किए। मैंने कल भी कहा कि ये सवालिया निशान केवल इसके ऊपर ही नहीं, ईवीएम, ट्रिपल तलाक, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक और जीएसटी पर भी खड़े करते रहे हैं। जब-जब ये लोग कोर्ट गए, सदन में आए या जनता के बीच में गए तो हर जगह नरेन्द्र मोदी जी की और उनकी सरकार की जीत हुई है। यह हम सबने देखा है। कांग्रेस कई बार आधारहीन आरोप लगाती रही है और हर बार मुंह की खाती रही है।

सर, मैं मुझे आगे भी दो-तीन बातें जरूर कहनी हैं कि लोगों ने अपना जो आशीर्वाद दिया है, इसका अंतर कहां नजर आता है। यही प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फण्ड था और यूपीए के समय में जितना पैसा इकट्ठा होता था, उससे पांच गुना ज्यादा पैसा नरेन्द्र मोदी जी के नाम पर प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फण्ड में इकट्ठा हुआ है। यह हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी है, यह देश की जनता का विश्वास है। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे बाद अधीर जी बोलेंगे, कि क्या आप मानते हैं कि यह जो पांच गुना ज्यादा पैसा मिला है, यह प्रधान मंत्री मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के कारण मिला है या आपके समय में यह पैसा कहीं और जाता था? इन दोनों में से किसी एक का जवाब आप जरूर दीजिए।

19.00 hrs

महोदय, अगर ये लोग सफेद ... * फैलाने और बाधा उत्पन्न के बजाय, इस जन-भागीदारी और इस राष्ट्रीय अभियान में रचनात्मक रूप से जुड़ते, मैं तो आज भी यह कहता हूँ कि आप इसमें जुड़िए, तो हम सभी लोग इकट्ठे होकर कोविड-19 की लड़ाई में अच्छी तरह से लड़ पाएंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन होगा। सर, अगर मुझे आप इजाजत दें, तो मैं यहां पर वर्ष 1964 का एक मिनट्स पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। क्यों इनके लिए प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड कभी प्राथमिकता नहीं रही? वह सन् 1948 में बना था और मैं सन् 1964 की बात कर रहा हूँ। आप सुनेंगे, तो हैरान हो जाएंगे। उस समय के प्रधान मंत्री, जो उसके अध्यक्ष थे, उस वर्ष दिल्ली, पंजाब, असम, बिहार, राजस्थान और यूपी में बाढ़ आई थी और देश की बुरी हालत थी। प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में पैसे की आवश्यकता थी, ऐसा मिनट्स में कहा गया है। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने पीएमएनआरएफ में तब तक पैसे देने की अपील नहीं की थी, क्यों उसका कारण आगे लिखा है कि जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल फंड की कलेक्शन पर कोई फर्क न पड़ जाए।

एक परिवार के ट्रस्ट के कलेक्शन पर फर्क न पड़ जाए, लेकिन कई राज्यों के लोग बाढ़ की हालत में मर जाएं, उसकी चिंता नहीं कि गई। क्या आज इस बात का जवाब भी यह पार्टी देना चाहती है? इस बात का जवाब कौन देगा? अगर बात यहीं रुक गई होती, तो शायद तब भी ठीक होता। आगे तो और भी बहुत कुछ हुआ। आखिरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट की नियुक्ति इस ट्रस्ट पर क्यों हुई? क्या हमने आज यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पीएम केयर्स फंड का सदस्य होगा? मैं यहां पर आपके माध्यम से सभी सांसदों से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए? तो आप लोगों ने आज तक इनसे यह क्यों नहीं पूछा कि इनका कैसे था? क्या इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि हम लोग इससे रिज़ाइन करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं? सर, इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां पर इनका इंटरैस्ट जुड़ा हुआ था। एक हाथ से लेते थे और दूसरे हाथ से अपने परिवार के ट्रस्ट में देते थे।...(व्यवधान) ऐसे हाथ करने से काम नहीं चलेगा। मैं आगे बताना वाला हूँ कि कहां-कहां पर दिया है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बारे में सदन और सभी माननीय सांसदों को यह भी बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 से वर्ष 2008 के बीच प्रतिवर्ष पैसा राजनीतिक तौर से और पारिवारिक तौर से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया जाता था। वर्ष 2005 में दिया गया, वर्ष 2006 में दिया गया, वर्ष 2007 में दिया गया और वर्ष 2008 में दिया गया। प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ट्रस्टी कौन था? यानी उसके ट्रस्टी के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। दूसरी ओर राजीव

गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी और चेयरपर्सन भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ही थीं। तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट था कि नहीं था?...(व्यवधान) क्या आप देश को इसका जवाब देंगे? यही नहीं, प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड...(व्यवधान)

सर, क्या आपको यह पता है कि प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड का अंतिम निजी व्यक्ति सन् 1964 में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या आपको यह भी पता है कि प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के ट्रस्टियों की अंतिम बैठक कब हुई थी? क्या यहां पर एक भी सदस्य ने इस बात को पूछा है? सन् 1985 में आखिरी बैठक हुई थी। जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे और उसके बाद पूरे ट्रस्ट का अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दिया गया था कि वह जैसे चाहे वैसे उसका पैसा खर्च करे। क्या कोई इस देश में नहीं पूछेगा, कोई सदन में नहीं पूछेगा? प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड के चेयरमैन के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को फंड के सभी खातों को प्रचालित करने तथा सभी प्रचालनों का प्रबंधन करने के लिए सचिव की नियुक्ति करने के लिए भी अधिकार दे दिया गया था। वह जिसको उचित समझते थे, उसके बाद पीएमएनआरएफ ट्रस्टियों की एक भी बैठक नहीं हुई थी। सर, ट्रस्टी और सेक्रेटरी कौन बनते थे, मैं अभी इस पर आने वाला हूँ।

सर, अभी आरटीआई पर मेरे मित्र गौरव गोगोई ज्यादा ज़ोर-ज़ोर से कह रहे थे, तो मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि आपकी यूपीए सरकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपने ही सीआईसी के विरुद्ध सन् 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय में गई थी कि पीएमएनआरएफ – प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और यह मामला आज तक लंबित है तो क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? मैं चाहता हूँ कि अधीर जी इसका जवाब भी सदन को दें। आप पीएम-केयर्स फंड के लिए तो आरटीआई मांगते हो, दूसरी ओर पीएमएनआरएफ के अगेंस्ट आप कोर्ट जाते हो, अपने ही सीआईसी के खिलाफ जाते हो। यह दोहरा चेहरा, चरित्र कैसे चलेगा? क्या आप जवाब नहीं देंगे? सर, इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने तत्कालीन विधायी कार्य विभाग ने स्पष्ट रूप से अभिमत दिया था कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत पीएमएनआरएफ एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। यदि यूपीए सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इस बात को बनाए रखा था तो आज क्यों इसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। वहां पर तो फिर भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सदस्य है, यहां पर तो भाजपा का भी कोई सदस्य नहीं है। पीएम-केयर्स में पूरी तरह ये एक्स-ऑफिशियो सदस्य है। सर, दूसरी बात यह है कि इनको लगता था कि ऐसे ही चला जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि –

“अभी तो साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी आपके कच्चे-चिट्टे सामने आने बहुत हैं।

नए गीत पैदा हुए हैं उन्हीं से, जो नगमें पुराने बहुत हैं – जो नगमें पुराने बहुत हैं।”

सर, ये केवल प्रधान मंत्री नैशनल रिलीफ फंड के ही सदस्य नहीं है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट के भी परमानेंट ट्रस्टी के रूप में इंडियन नैशनल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। सर, ऐसा क्या है कि जिनको जनता नकारती है, जिनका लीडर ऑफ ऑपोज़िशन नहीं बन सकता है, लेकिन वे सदियों तक इन्हीं ट्रस्टों पर बने रहेंगे? सर, मैं एक बात तो जरूर सामने रखना चाहता हूँ कि इस एक परिवार ने भारत को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ कर अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए सरकारी मशीनरी और सार्वजनिक धन का उपयोग अपने निजी एजेंडा और निजी लाभ के लिए बड़ी ...* और आपत्तिजनक तरीके से और अपमानजनक तरीके से किया है। यही नहीं, यहां तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर ट्रस्ट्स हैं। मुझे नहीं पता कि यहां पर कितने मेरे जो संसद सदस्य हैं, इनके कितने परिवार के नाम पर ट्रस्ट्स हैं। सर, लेकिन यहां पर ट्रस्टों की लंबी सूची है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं थोड़े से नाम पढ़ना चाहूंगा। सर, इस परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम पर जो चैरिटेबल ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस हैं, उनको व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों के लिए बनाया गया है। जिसकी अध्यक्षता आदरणीय सोनिया जी करती हैं। राहुल जी और प्रियंका जी उसके सदस्य हैं। सर, ये ट्रस्ट्स तिकड़ी द्वारा ही पूरी तरह से नियंत्रित हैं। सर, चाहे वह राजीव गांधी फाउंडेशन हो, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, राजीव गांधी नैशनल रिलीफ एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट हो, इंदिरा गांधी मैमोरियल ट्रस्ट हो, जवाहर भवन ट्रस्ट हो, जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट हो, कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट हो, संजय गांधी मैमोरियल ट्रस्ट हो। सर, अब मैं कितनी लंबी लिस्ट पढ़ूँ। ... (व्यवधान) सर, फिरोज गांधी जी के नाम का ट्रस्ट अभी तक मुझे मिला नहीं है, बाकी नाम मैंने पढ़ दिए हैं। ... (व्यवधान) सर औजला जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ... (व्यवधान) सर, मैं औजला जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के नाम पर ही ट्रस्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं सर, इसका खाता आगे आने वाला है। किन कार्यों के लिए बनते हैं?

राजीव गांधी फाउंडेशन ने 113 करोड़ रुपये का कॉर्पस ऑफिशियली डिक्लेयर किया। यह सिर्फ डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड तो मुझे पता नहीं। ... (व्यवधान) सर, यह बिल्कुल सिस्टेमैटिक और सस्टेन तरीके से सरकारी संसाधनों को लूटने का काम किया गया। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 1991 की अपनी बजट स्पीच में 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए एलोकेट करने की बात कह दी। ... (व्यवधान)

सर, देश के किस ऐसे ट्रस्ट के लिए 100 करोड़ रुपये उस समय, पूरे सदन में हल्ला हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। फिर वापस सोनिया जी को मनाने गए। सोनिया जी ने एक नया तरीका ढूँढ कर रख दिया कि निर्देश जारी कर दो- अलग-अलग विभाग देगा। विभागों ने कैसे नहीं दिया। मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि प्लानिंग

कमीशन ने एक डिक्लेट जारी कर दिया कि जिसमें हर मंत्रालय को एक-एक करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को 1995 में देने की बात कही।... (व्यवधान) अच्छा, मीडिया की रिपोर्ट पर आप नहीं जाते। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एनवायर्नमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, हेल्थ से वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 लगातार हर वर्ष पैसा मिलता गया। सर, कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शायद ही होगी, जिसने पैसा न दिया हो। चाहे वह सेल हो, गेल हो, तेल हो, गैस हो, जिससे जो लेना था, सब ले लिया। बैंक हो, एसबीआई से लेकर बाकी सबसे वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 हर साल इन्होंने उन सबसे पैसा लिया।... (व्यवधान) कानपुर में एक लड्डू वाले की दुकान है, उसमें वह लिखता है कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे हमने ठगा नहीं। इनके लिए बनता है- ऐसा कोई बचा नहीं, जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं। अभी तो साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी आपके कच्चे चिट्ठे सामने आने बहुत हैं। इसलिए चिंता मत करो।

सर, यही नहीं, मैं आपके माध्यम से सदन को याद कराना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से जैसे वर्ष 2005 से 2008 के बीच पैसा पीएमआरएफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया, तीन साल लगातार।... (व्यवधान) यहां पर एक तरफ से पैसा इकट्ठा किया, दूसरी तरफ दे दिया। इसी तरह से तीन मूर्ति भवन लुटियन दिल्ली में किसके नाम पर, एक ही परिवार के लिए तीन मूर्ति भवन, 30 एकड़ जमीन, आप कल्पना कर सकते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की सहमति हो तो हाउस का समय दोनों विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, तीन मूर्ति भवन लगभग 30 एकड़ जमीन है, जो इस परिवार के लिए दी गई। अगर देखें तो इसकी भी मार्किट वैल्यू कम से कम 8-10 हजार करोड़ रुपया होगी। अगर मैं राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट की बात करूँ और इनकी लैंड डील्स, जमीनों की बात करें।... (व्यवधान) जमीनी नेता तो अब ये रहे नहीं, लेकिन जमीनों वाले नेता जरूर हो गए हैं। चाहे वह चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर हो, हरियाणा में हो, गुरुग्राम में हो, देश के अलग-अलग कोनों में हो। सर, चाइना से लेकर लक्जमबर्ग तक से पैसा इनके लिए आया हो। मैं प्राइवेट कम्पनियों के नाम नहीं लेना चाहता, आप कहें तो मैं पूरे ले भी सकता हूँ। शायद ही कोई औद्योगिक घराना ऐसा हो, जिसको इन्होंने छोड़ा हो।

सर, इसी सदन में कई बार जाकिर नाइक के खिलाफ बात कही गई और जाकिर नाइक को पैसा कहां से आता था, आज वह देश के अंदर नहीं आ सकता। सर, राजीव गांधी चेरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया लिया।...(व्यवधान)

महोदय, मुझे पता है कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन आज मैं इतना सच बोल रहा हूँ कि इन्हें और भी बहुत कड़वा लग रहा है।...(व्यवधान)

सर, अगर इन्होंने वर्ष 2011 में, जिसके आतंकवादियों से लिंक थे, ऐसे जाकिर नाइक से वर्ष 2011 में इन्होंने 50 लाख रुपये लिए तो वर्ष 2014 में आपने वापस क्यों किए, इस बात का जवाब भी आपको देना पड़ेगा।...(व्यवधान) बताइए कि तीन साल तक क्या किया? ...(व्यवधान) यह भी बताइए कि इंटरैस्ट समेत दिया या बगैर इंटरैस्ट के दिया है। तीन साल तक और चाइना से तीन लाख डॉलर किसलिए, क्या अध्ययन करना था, बाइलैटरल ट्रेड, एफडीए, अरे हिन्दुस्तान का बाइलैटरल ट्रेड में अगर ट्रेड डेफिसिट कहीं हुआ है तो वह आपकी गलत नीतियों के कारण हुआ है और आप उसे बनाने के लिए पैसा भी चाइना से लेते थे। इस बात पर भी आपको देश से माँगी माँगनी चाहिए।...(व्यवधान)

सर, प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा राजीव गाँधी फाउंडेशन में जाता था और राजीव गाँधी फाउंडेशन से यह पैसा अलग-अलग चेरिटेबल ट्रस्ट में जाता था। क्या करते थे? क्या देश को गाँधी परिवार बतायेगा कि वह इस पैसे का क्या करता था? कहाँ पर यह पैसा खर्च किया गया? क्या आपकी कोई वेबसाइट बताती है कि वह पैसा कहाँ गया है? अरे हमने तो जब पीएम केयर्स फंड बनाया, उसे रजिस्टर्ड भी करवाया और वेबसाइट पर पूरा खाता भी रखा है। हमने ईमानदारी के साथ काम करके दिखाया है।

सर, एक ओर आतंकवादियों से जुड़े हुए व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो दूसरी ओर क्रिश्चियन मिशनरी को वह पैसा देने का काम, वर्ल्ड विजन जैसे लोगों को देने का काम किया है।...(व्यवधान) सर, कहाँ से? प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में देश की गरीब जनता ने अपना पैसा प्रधान मंत्री के नाम पर दिया और आपने गाँधी परिवार के ट्रस्टों के लिए ले लिया। वहाँ से आपने किसी क्रिश्चियन मिशनरी को दे दिया और कहाँ-कहाँ खर्च किया, इसका किसको पता चलेगा, लेकिन जब पता चला कि मैडम सोनिया गाँधी जी एनएसी की चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ कई ट्रस्टों की भी चेयरपर्सन्स हैं। जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एलीगेशन लगे तो सोनिया गाँधी जी को इस्तीफा देना भी पड़ा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, अधीर जी कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, उनकी बात सुन ली जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप माइक में बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, बात यह है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इल्जाम लगाने की जरूरत होती है, तो पहले उनको नोटिस देना पड़ता है।

दूसरी बात, जो सदन में उपस्थित नहीं रहते, अपने को डिफेंड करने का जिनके पास मौका नहीं रहता, जो सदन के सदस्य हैं और उनके पास डिफेंड करने का मौका नहीं है तो उनके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं।

सर, आप रूल बुक में यह देख सकते हैं। सोनिया गाँधी जी इस सदन की मेंबर हैं, वे अपनी चिकित्सा कराने के लिए बाहर गई हैं और उनके नाम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है, जो अभी अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं हैं। वे अभी सदन में मौजूद नहीं हैं।

सर, एक बात सुन लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हाउस इस तरीके से चले तो आप चलने दीजिए। अगर वे सोचते हैं कि हम लोगों की यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तो हमें बोल दीजिए, हम चले जाते हैं।... (व्यवधान) सर, हम चले जाते हैं।... (व्यवधान) अगर कुछ नहीं चलेगा तो हम चले जाते हैं।... (व्यवधान) सर, बिल्कुल आपको सुला दिया है।... (व्यवधान) सर, हम लोग बिल्कुल यह सदन छोड़कर जाने वाले हैं, अगर आपकी मौजूदगी में ये इस तरीके की... * बातें यहाँ करते जाएंगे।... (व्यवधान)

सर, अगर ये आपकी मौजूदगी में इस तरीके की... * बातें करते जाएंगे, रूल बुक आदि को कोई मान्यता न दें, तो हमें यह सदन छोड़कर जाना पड़ेगा।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : वे कानून के हिसाब से बोलेंगे। आप कृपया बैठिए।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मंत्री महोदय आरोप लगाने में माहिर हैं। वे जिस पारदर्शिता की बात करते हैं तो क्या वे बताएंगे कि वह पारदर्शिता विवेकानंद फाउण्डेशन में है, इंडिया फाउण्डेशन में है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बी.जे.पी. में है? ... (व्यवधान)* कौन है? दमन वेंटिलेटर स्कैम के बारे में बोलिए। चीन में टिकटॉक का कितना पैसा है? जाकिर नाइक की बात करते हैं। जाकिर नाइक का तो पैसा वापस गया, लेकिन टिकटॉक का पैसा कब वापस जाएगा? ... (व्यवधान) चीन के पैसे कब वापस जाएंगे? ... (व्यवधान) चीन के साथ हुई लड़ाई में हमारे सिपाहियों ने अपना बलिदान दिया और आपको इतना साहस दिया कि आप चीन के पैसे वापस करें। आपने एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे लिए। क्या आप में इतना साहस भी है कि आप वे पैसे वापस करें? अरे, क्या आप इतने दुर्बल हो गए कि चीनी पैसे से आप कोविड-19 का रेस्क्यू करेंगे? आप पी.एम.एन.आर.एफ. की बात करते हैं।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री मोदी जी ने पी.एम.एन.आर.एफ. फण्ड को कितनी बार यूज किया? ... (व्यवधान) नेशनल रिलीफ फण्ड को वर्ष 2017 में यूज किया।... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है।... (व्यवधान) आज़ादी से अब तक कांग्रेस का यह सफर बदस्तूर जारी रहा है।... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am on a Point of Order under Rule 353. It says:

“No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the Speaker is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such

allegation.”

सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सोनिया गांधी जी के बारे में ...* करके इस सदन की गरिमा बढ़ेगी? अगर यह बढ़ेगी तो आप इसकी इजाजत दे दीजिए ।... (व्यवधान) यह फैसला आपको करना है ।...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, मैं यीलड नहीं करूंगा ।...(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं उन्हीं सब बातों पर अपने विचार रख रहा हूँ, जो माननीय सदस्यों ने कहा है । मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने सबके भाषण सुने हैं । आपने ही इसकी स्थापना से लेकर पारदर्शिता और मिसयूज ऑफ फण्ड्स इत्यादि के बारे में कहा । अगर आपने यह नहीं पूछा होता तो मैं इसके बारे में क्यों बोलता? आप सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा और क्या मंत्री इसका उत्तर भी न दे? ... (व्यवधान)

सर, देश को और सदन को यह जानने की जरूरत है या नहीं है? पीएम-केयर्स को करने की क्या आवश्यकता पड़ी तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं ।...(व्यवधान)

वे प्रदेश में बैठ कर ट्वीट पर ट्वीट करते गए,

पुश्तैनी चादर ओढ़ कर बड़ी ...* करते गए ।

सर, मैं कुछ और बातों पर आना चाहता हूँ क्योंकि मैंने दो-तीन बातें कही हैं ।...(व्यवधान) मेहुल चौकसी, जो पी.एन.बी. फ्रॉड करके चला गया । उससे भी इन्होंने दस लाख रुपये ले लिए ।...(व्यवधान) उससे भी दस लाख रुपये आपने नहीं छोड़े? ... (व्यवधान) यस बैंक के फाउण्डर ...*से भी इन्होंने दस लाख रुपये ले लिए ।...(व्यवधान) जो एन.एस.ई.एल. स्कैम का ...* है, उस स्कैम करने वाले से इन लोगों ने पचास लाख रुपये ले लिए ।...(व्यवधान)

सर, यही नहीं जो जवाहर भवन है, वर्ष 1985 में उसकी कीमत 100 करोड़ रुपये थी। सर, मैं कितने चिढ़े खोलूँ, अगर आज उसको देखेंगे तो लगभग उन्होंने ऐसा कोई पीएसयूज़ नहीं छोड़ा, जिससे इन्होंने पैसे न लिए हो।

सर, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात को विराम दूँगा। यह देश को बताना इसलिए जरूरी था और माननीय सांसदों को भी, जिन्होंने इस कोविड-19 के समय में भी अपना समय दिया है। ... (व्यवधान)

सर, अगर मैं पेंटिंग की चर्चा करूँगा तो फिर ये बोलेंगे कि वह तो इस सदन के सदस्य ही नहीं हैं। जो दो हैं, वे विदेश में हैं, क्योंकि गरीब आदमी तो विदेश में इलाज कराने नहीं जा सकता है। इसलिए, मैं उसको छोड़ देता हूँ।

सर, मैं दूसरी बात कहूँ कि कुछ फाउन्डेशंस की बात कही गई। ... (व्यवधान) उन फाउन्डेशंस का क्या है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन फाउन्डेशंस को कोई बजटरी सपोर्ट का पैसा नहीं दिया गया, कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया का कोई पैसा नहीं दिया गया, जहाँ दिया गया, वहाँ से लेने का काम राजीव गाँधी फाउन्डेशन ने किया है, इसलिए आपको जवाब देना बहुत आवश्यक है। ... (व्यवधान)

सर, अगली बात मैं यह कहना चाहता हूँ, जो लोग इस ट्रस्ट के सचिव बने, असली खेल तो इनका रियल एस्टेट का था। चाहे जवाहर लाल नेहरू ट्रस्ट की जमीन हो, चाहे जवाहर भवन की हो और बाकी अन्य की हो, इन्होंने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा है, जिसमें अपने ट्रस्ट के नाम पर जमीन न ली हो। आज उसकी कीमत देखी जाए। क्या कोविड-19 के समय आप देश के लिए वे सारी जमीनें वापिस देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने सारे फंड का पैसा देश में कोविड पर खर्च करने के लिए तैयार हैं? कितना पैसा इन्होंने अपने फंड से कोविड-19 के लिए खर्च किया? क्या आप देश को बताने के लिए तैयार हैं?

सर, यही नहीं, आज तक क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। यहाँ तक कि हैदराबाद हाउस जो केवल बड़े कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने वह भी, राजीव गाँधी फाउन्डेशन के कार्यक्रमों और कॉफ्रेंस के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं, एम.एच.आर.डी. जो अब शिक्षा मंत्रालय बन गया, इससे फ्लाइट्स टिकट्स भी इंटरनेशनल स्पीकर्स के लिए लेते थे। सर, कौन-सा विभाग इन्होंने परिवार के नाम पर छोड़ा है।

सर, जो अगली बात आती है, इनके ट्रस्ट में जो इनके सेक्रेटरी के नाम पर आए। वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 1998 तक पुलोक चटर्जी थे। इनको बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पी.एम. बनाया गया। वज़ाहत हबीबुल्ला एक और एग्जाम्प्ल है, जिनको पीएमओ, सीआईसी से लेकर माइनोंरटी कमीशन तक दिया गया।

सर, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, which is the Statement of the then Vice-Chairman, Shri Abid Hussain. ...(*Interruptions*) Sir, this shows their arrogance and non-Official control. ...(*Interruptions*) It is best captured in this Statement made in 1995. You have to listen, Sir. ...(*Interruptions*) It says:

“We are independent, free, and autonomous but the MEA and the PMO are very responsive to us because we work on the subjects in which they are terribly interested.”

सर, इसका क्या मतलब है? कौन-सी ऐसे सब्जेक्ट पर आप काम करते थे? क्या इन फाउन्डेशंस का उपयोग किया जाता था? वैसे वह पूरी सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन आपके ट्रस्ट उन कामों में लगे रहते थे। इस ट्रस्ट का इंटरैस्ट भारत में था, या कहीं और था? इसे आपको बताना पड़ेगा। यहीं नहीं, मैंने चाइना, लकज़मबर्ग से लेकर बाकी सब की बात कर ही दी है। डब्ल्यूएचओ, यूएनडीपी से लेकर सभी की बात कर दी। नेशनल हेराल्ड तो मुझे लगता है कि देश के लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। सर, मेरा केवल इतना ही कहना है कि आप उनको बचाने की कोशिश करें, जो पहले बेल पर हैं। मैंने जितनी बातें यहाँ पर कही हैं, ...(*व्यवधान*) मैं सदन में कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ...(*व्यवधान*)

सर, काँग्रेस के सदस्य ने अभी कहा कि यह ...* है तो उनके नेता मेरे बाद बोलने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि अगर मैंने एक भी ...* बोला है तो कृपया करके उस ...* को अपनी ओर से पूरा तर्क देकर कहें कि यह ...* है और उसका तथ्य देकर कहें, क्योंकि कल जब मैंने पूरे तथ्य देकर अपनी बात कही थी। मेरा एक शब्द भी, मेरी पिछले कल की पूरी स्पीच निकालिए, मेरा एक शब्द भी अनपार्लियामेन्ट्री नहीं था। केवल एक परिवार, एक ट्रस्ट या किसी के ऊपर मैंने बात अभी रखनी शुरू की थी, तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया। ...(*व्यवधान*) वाक आउट हो गया। ...(*व्यवधान*)

सर, कहा गया हिमाचल का ... *(व्यवधान) फिर कुछ और भी कहा गया। ...*(व्यवधान) मैं इनके लिए सक्षम हूँ। जब ये लोग यूपीए में घोटाले करते थे, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते सड़कों पर इनकी धज्जियां उड़ाता था और इनको उखाड़ फेंकने के लिए हमने काम किया है। हमने लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, पानी की बौछारें खाई हैं। आपके भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए आज तक मुकदमे झेल रहे हैं और आज भी आपके सारे भ्रष्टाचार को बेनकाब करूंगा। आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। हिमाचल का ... * कौन? देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए, तो वे हिमाचल प्रदेश से हुए। कारगिल की लड़ाई में यह पहली बार हुआ कि शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचाया, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहुंचाया था। उस लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादत किसने दी, तो हिमाचल के... * ने दी थी। हमारी 70 लाख की आबादी है। उस लड़ाई में चार परमवीर चक्र विजेता हुए। छोटे से प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दो ... *, अगर इनको ... * शब्द ही पसंद है, तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ। हमारे वीर जवान परमवीर चक्र विजेता हुए। ...*(व्यवधान) कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफल मैन संजय कुमार, जो मेरी कांस्टीच्युएंसी से आते हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि हां, मैं वीरभूमि का ... * हूँ, मैं हिमाचल का ... * हूँ। आपको गाली के शब्द कुछ और मिलते होते, आप वे भी ले लेते, मुझे उससे कोई परहेज नहीं था। आप पहली बार नहीं, बार-बार सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। You are a ... ** यह आपने पहली बार नहीं किया है। आप हर बार माफी मांगते हैं। आज मैं माफी मांगने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। मैं इस विषय को भी नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन दर्द तब हुआ, जब रात को साढ़े 10 बजे के बाद जाकर ढंग से फिर वहां पर सुना। जिस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मंदिर के रूप में मानकर देश के प्रधान मंत्री मोदी जी शीश झुकाकर अंदर आते हैं, ये सामने बैठे कांग्रेस के लीडर उसको बाजार कहते हैं और इधर के सांसदों को ... * कहते हैं। सर, ये शब्द हैं। मैं माफी मांगने के लिए इनको बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जितना इनको कहना है, जो इनके कारनामे हैं, उस पर मैं ज्यादा और नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि कृपया करके इन शब्दों को निकाल दिया जाए। यह उचित नहीं होगा। अगर सदन को लगता है कि निकालना चाहिए तो आप कह सकते हैं, अगर वे उचित शब्द नहीं थे। अभी ... * कह देना। मैंने हर बात तर्क देकर कही। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाए।

जो लोग उस ट्रस्ट के सदस्य थे, उन्होंने जो अब तक किया है, मैंने केवल उनकी बात रखी। एक ऐसा ट्रस्ट प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो आज तक रजिस्टर नहीं हुआ, जिसने सारी एग्जंप्शंस पाईं। क्या आप उसकी तुलना एक ऐसे काम से कर सकते हैं, जो कोविड-19 की लड़ाई के समय माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है? देश के लोगों की सेवा करने के लिए एक-एक कदम, 27 मार्च को उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर, उसकी 12 ए की रजिस्ट्रेशन से लेकर, 80 जी के एग्जंप्शन

से लेकर, एफसीआरए से लेकर, शेड्यूल 7 ऑफ सीएसआर तक सबमें एक-एक कानून के तहत कदम उठाया गया। मैं आपके माध्यम से देश और सदन को आश्वासन करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का आज तक का राजनीतिक जीवन देख लीजिए, ईमानदारी भरा, सुशासन भरा, पारदर्शिता भरा रहा है और पीएम केयर्स फंड भी इतना पारदर्शिता भरा ही रहेगा।

इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ और आपके समर्थन की उम्मीद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सदन में चर्चा हो, जरूर आप यह चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं, यह मुझे लगता है। लेकिन कल से एक चीज मैं देख रहा हूँ कि सोचे-समझे तरीके से कांग्रेस के खिलाफ ... *करके इल्जाम पर इल्जाम लगाकर, जिस विधेयक पर चर्चा होनी जरूरी है, उसमें सारी चीजों को भ्रमित करना और गुमराह करने का एक सोचा-समझा तरीका हम कल से देख रहे हैं। यहां जवाहर लाल नेहरू जी की धज्जियां उड़ाई गईं कि 1948 में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, एक रिलीफ फंड बनाया, वह रिलीफ फंड रजिस्टर नहीं हुआ, उसमें घपला हुआ, उसमें काफी करप्शन हुआ। यही बात कही गई।

मैं एक बात जरूर कहता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, कान में माइक लगा कर सुन लीजिए, मैं इंग्लिश में कहूंगा, ट्रांसलेशन सुन लीजिए।

“Death is certain, the body is ephemeral. The golden body that yesterday we consigned to the funeral pyre of sandalwood, was bound to end. But did death have to come so stealthily? When friends were asleep and guards were slack, we were robbed of a priceless gift of life.”

Bharat Mata is stricken with grief today — she has lost her favourite prince. Humanity is sad today — it has lost its devotee. Peace is restless today — its protector is no more. The down-trodden have lost their refuge. The common man has lost the light in his eyes. The curtain has come down. The leading actor on the stage of the world displayed his final role and taken the bow.”

वर्ष 1964 में राज्य सभा में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिवंगत आत्मा नेहरू जी के सम्मान में ये बात कही थी। आपके पार्टी के इतने बड़े नेता, जिन्हें हम सभी मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी की मेमोरी में राज्य सभा में यह बात रखी। अगर इस सदन में उसकी निंदा होगी तो किसका अपमान किया जा रहा है? आप जवाहर लाल नेहरू का अपमान कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अपमान कर रहे हैं, दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। इसके लिए आपको कहा कि हिमाचल का ... * तुम नहीं जानता, हिमाचल का ... * मतलब हिमाचल का बच्चा तू नहीं जानता, मतलब बॉय, बालक, हिमाचल का बालक तुम नहीं जानता, क्योंकि तुम कितनी बड़ा गलती कर रहा है, तुम नहीं जानते, हिमाचल का बालक, यही मैंने कहा। मैं पढ़ कर सुना देता हूँ, आपको साल भी बता रहा हूँ। After Prime Minister, Jawaharl Nehru's death in May, 1964, Atal Bihari Vajpayee, then a Rajya Sabha Member, paid homage in Parliament to India's first Prime Minister. उन्होंने और क्या-क्या कहा, सुनाऊं,

"In the Ramayana, Maharashi Valmiki has said of Lord Rama that he brought the impossible together. In Panditji's life, we see a glimpse of what the great poet said. He was a devotee of peace and yet the harbinger of revolution, he was a devotee of non-violence but advocated every weapon to defend freedom and honour."

आप उनको ... * साबित करते हैं। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूँ।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): स्पीकर साहब, मुझे एक बात बहुत विनम्रता से कहनी है। अधीर बाबू अपनी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने फिर उस शब्द का प्रयोग किया। चाहे भारत का प्रदेश हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बंगाल हो, हर प्रदेश के नौजवान, बच्चे और बूढ़ों को सम्मान मिलना चाहिए। सदन में फिर उस शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि उसको रिपीट न करें। जो शब्द कहीं से भी आया, उसको डिलीट कर दें, मैं यही आग्रह कर रहा हूँ। आपने फिर उस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए, यही मैं कह रहा हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बालक तुम इतना बुरा काम न करो। मैं यही कह रहा था। बालक तुम इतना बुरा काम न करो क्योंकि तुम्हारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिवंगत जवाहर लाल नेहरू की शरण में यह बात रखी थी। पंडित रवि शंकर जी आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप जरा सा पढ़ लीजिएगा और बालक को समझा दीजिएगा। मैंने उनको बालक कहा, मैंने उनका अपमान बिल्कुल नहीं किया, हमारा प्यारा बच्चा है। बीजीपी की घोल खाकर घूम रहा है, उनको भी नशा चढ़ गया है। उनको दिखाना है कि देखो मैं कितना कांग्रेस के विरोध में हूँ, उसे दिखाकर पोस्ट बचाना चाहते हैं। इसलिए कहा कि बालक तुम ऐसा न कर।

तुम हिमाचल के बालक हो, हिंदुस्तान के बालक हो, लेकिन बालक तू ऐसा न कर, जवाहर लाल नेहरू जी का अपमान न कर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा नहीं सहेगी। मुझे यही बोलना था, और कुछ नहीं। ... (व्यवधान) महोदय, रूल के हिसाब से बात की जाए तो कोई हर्ज नहीं है।

सर, कल भी मैं निर्मला सीतारमन जी की बात सुन रहा था। I recognised her as an accomplished lady of this Cabinet. I respect her. Certainly, she is deserved to be praised. मैडम, जब सदन में कोई विधेयक आता है, तब तो हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको बुरा लग सकता है, अच्छा लग सकता है, लेकिन अधिकार तो है। फिर भी जब चर्चा खत्म हो जाती है तब हम तुरंत जाकर कहते हैं - मैडम, सिस्टर या एल्डर सिस्टर, मेरा यह काम है। आप करते भी हैं। मैंने जब आपसे मांग की, आपने पूरी की। मेरी पार्टी के लीडर प्रियरंजन दास मुंशी जी की मृत्यु हो गई थी, हम उनकी डैड बॉडी ले जाने में सक्षम नहीं थे। तब आप डिफेंस मिनिस्टर थीं, आपको मैंने एक बार कहा और आपने तुरंत इंतजाम कर दिया। आपने हैलीकॉप्टर दे दिया, प्लेन दे दिया। मैंने खुद आपको चिट्ठी लिखी - मैडम, आज जिस तरह से आपने हमारे दिवंगत नेता के लिए मदद की है, मैं जिंदगी भर आपको याद रखूंगा। मैंने यह लिखा। मैं क्यों नहीं लिखूंगा? You may be a Minister but you are like my elder sister.

हम आपके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब विधेयक आता है, हमारा कोई सवाल होता है, हमें पार्लियामेंट ने पूछने का अधिकार दिया है, कांस्टीट्यूशन ने दिया है। इसमें आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करें?

मुझे आज भी याद है, वर्ष 2019 में नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जब मुझे इस पद पर बिठाया गया था, मुझे पहली बार सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में बोलने का मौका मिला था। तब मैंने कहा था - देखिए आप लोगों ने हमें टूजी का चोर बनाया, कॉमन वैल्थ का चोर बनाया और भी तरह-तरह

का चोर बनाया, कोयला घोटाले का चोर बनाया । ...(व्यवधान) प्रधान मंत्री सारे हिंदुस्तान में घूम-घूम कर कहते थे, इल्जाम लगाते थे, मां-बेटे ने सारे देश की ...* ...
 (व्यवधान) जिस दिन सदन में यह चर्चा शुरू हुई, पहली चर्चा में मैंने नरेन्द्र मोदी जी से मांग की थी - नरेन्द्र मोदी जी, अगर मैडम सोनिया गांधी जी, हमारी नेता ...* हैं,
 राहुल गांधी जी ...* हैं तो सदन में क्यों बैठे हैं? वे जेल में अब तक क्यों नहीं गए?

सदन में आप सत्ता में आए हैं, पहले भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में सत्ता में थे ।...(व्यवधान) फिर आप सत्ता में आए, दो बार आए । ...
 (व्यवधान) आप लगभग 12-13 साल तो सत्ता में रहे हैं, और भी रहेंगे, जरूर रहना चाहिए ।...(व्यवधान) लेकिन ...* कब तक सुनेंगे? ...* सदन में क्यों आते हैं? ...*
 जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं रहते हैं? अगर हमारे नेता ...* होते तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तरह भाग जाते । वे तो यहां सीना तानकर खड़े हैं ।...
 (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप भी तो हमें यह बात बोलते हैं ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप ...* मत करो । ...(व्यवधान) बात करने दो । ...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: यही बात उन लोगों की है । अरैस्ट करके क्यों नहीं दिखाया?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : ये उनकी नेत्री को दिखाना चाहते हैं, वो भी किसी से कम नहीं हैं । हम भी किसी से कम नहीं हैं । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय वित्त मंत्री जी हम जानकारी लेना चाहते हैं, हम यह जानकारी आपसे ही लेंगे, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं। यदि आप वित्त मंत्री नहीं रहतीं तो मैं सवाल नहीं पूछता। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसलिए पैरलेल फंड बनाने की जरूरत है। What is the need for creating a parallel fund? यह हम जानकारी लेना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बोलेंगी। एक पीएम नेशनल रिलीफ फंड एग्जिस्टिंग है तो पैरलेल फंड बनाने की क्या जरूरत है? यदि जरूरत है तो बता दीजिए। जब हम पूछते हैं कि जरूरत क्यों है तो आप कहते हैं कांग्रेस ने ट्रस्ट क्यों बनाए थे? इससे क्या ताल्लुकात है? मुझे पता नहीं है। पीएम केयर्स फंड को लेकर हिन्दुस्तान में बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए है कि पीएम केयर्स फंड के जो लूपहोल्स हैं और इसमें जो सुविधा दी जा रही है, उस सुविधा को बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। फेवर के लिए या कुछ सहयोग के लिए, इसके पीछे राज क्या है? यह हम जानना चाहते हैं। जवाब देना या न देना आपकी मर्जी है। लेकिन, हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी नुमाइंदे बन चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि जब गलवान घाटी में हमारे हिन्दुस्तानी फौज शहादत देते रहे, उसके बाद भी आपने चीनी बैंक से पैसा उधार लिया? चीनी बैंक से पिछले अप्रैल से आज तक आपने कितना पैसा लोन लिया है या कोई अलग इंस्ट्रूमेंट के जरिए लिया है? आप इसके बारे में हमें बताइए।

मैडम, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे चाइनीज कंपनियों ने PMCare Fund में डोनेशन दिया है। हमारे पास जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों के मुताबिक जियोमी ने 10 रुपये और हुआवेई ने 7 करोड़ डाले हैं। ये हुआवेई कौन है? It is in the US Pentagon's list of the Chinese companies that are owned or controlled by the Chinese military, the People's Liberation Army. वन-प्लस नाम से एक चीनी कंपनी ने एक करोड़ दी है, ओपो कंपनी ने एक करोड़, टिक-टॉक कंपनी ने 30 करोड़ और पेटीएम नाम की एक कंपनी है। It is over 50 per cent owned by the China-based companies. It collected Rs. 100 crore for the Fund. Its target is to collect Rs. 500 crore. यह सच है या नहीं है? यदि नहीं तो आप कह दीजिए कि बिल्कुल नहीं है, तब हम मान लेंगे कि नहीं है। लेकिन, मुझे आशंका इसलिए होती है, क्योंकि जब हमारे फौजियों की गलवान घाटी में शहादत होती है, शहादत होने के बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि लद्दाख में न कोई चीनी फौज घुसी है, न कोई घुसा हुआ है और न हमारा कोई कैम्प चीन के कब्जे में है। दूसरे दिन, विदेश मंत्री जी कहते हैं कि बहुत सारे चीनी फौजों का इंटरूजन हुआ है। राजनाथ सिंह जी भी राज्य सभा एवं लोक सभा में कहते हैं कि पैंगोंग और देपसांग इलाके में हमारे साथ फ्रिक्शन चल रहा है। बहुत सारे इलाके में चीनी फौज घुसी हुई है। हमारी फौज भी लड़ रही है।

माननीय अध्यक्ष : आपका गला खराब है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : वह लड़ेगी, क्योंकि हिन्दुस्तानी फौज ऐसी ही है। वह लड़कर अपने देश की सरजमीं की रक्षा करेगी। यह हिन्दुस्तानी फौज का सबसे बड़ा धर्म है। हमें आशंका क्यों हुई? जब चीनी फौजें हमारी फौजों को मार रही हैं, हत्या कर रही हैं, हमारे फौजों ने उनसे बदला भी लिया है, उसके बाद अगर हमारे प्रधान मंत्री जी यह कहें कि न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न हमारा कोई कैम्प चीन के कब्जे में है तो हमें तो शंका होगी।

हम जानना चाहते हैं कि इन डोनेशन्स के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का कोई तालुकात है या नहीं है। हम इसीलिए पूछ रहे हैं। सर, मैं बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आज आपका गला भी खराब है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : PMCARES fund appears to have been created to conceal the donations of private persons and corporates. यह हमारी शिकायत है। मैडम, हमने आपसे बहुत सुझाव मांगे हैं। कल भी कुछ सुझाव मांगे थे कि आप स्टेट को जीएसटी दीजिए। मैडम, जैसे आपने 'एक्ट ऑफ गॉड' के लिए कहा है। वर्ष 2014 में जब पीएम नरेन्द्र मोदी जी चुनाव प्रचार के लिए बंगाल गए थे तो वहां के मुख्य मंत्री जी ने किसी बात पर कहा था कि यह 'एक्ट ऑफ गॉड' है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय प्रधान मंत्री जी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह 'एक्ट ऑफ गॉड' नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी का यह सबसे पहला बयान था। आप चाहे तो पता कर लीजिए। यह हमने नरेन्द्र मोदी जी से सीखा है कि 'एक्ट ऑफ गॉड' के बदले 'एक्ट ऑफ फ्रॉड' कहना मुनासिब है। यह हमने नरेन्द्र मोदी जी से सीखा है। क्या कोई एक्ट ऑफ फ्रॉड तो नहीं होता है? यह बड़ी गोलमोल चीज होती है। The PMCARES is not under the purview of the C&AG, the Chief Audit Agency, for all spending of national exchequer. No scrutiny of any kind is allowed of the PMCARES fund making it susceptible. It becomes susceptible to mismanagement. ट्रांसपेरेंसी आपकी सरकार का रवैया है। यह आपकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटैबिलिटी है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ऐसा क्यों हो रहा है। यह Hide and seek गेम हो रहा है। हमारे ये सवाल हैं। देखिए अगर हमें कोई डर होता या यूपीए सरकार को कोई डर होता तो हम Right to Information Act सदन में पारित नहीं करते। हमने Right to Information Act लागू करके यह साबित कर दिया है। मुँह से ट्रांसपेरेंसी बोलने से कुछ नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को Legal entitlement दिया जाए। हममें और आपमें यही फर्क है कि आप मुँह से कुछ और बोलते हैं, लेकिन काम कुछ अलग करते हैं। लेकिन हम जो भी मुँह से बोलते हैं, उस काम को करके दिखाते हैं। CSR Fund is eligible for

donation to PM CARES fund. Would it mean that corporates instead of spending their mandatory CSR fund for developmental work prefer to spend it on the PM CARES fund? यहां बहुत सारे मैम्बर्स ने कहा है। सर, मेरा इस पर एक छोटा सा सवाल है। अगर प्राइम मिनिस्टर जी को सीएसआर फंड मिलता है तो चीफ मिनिस्टर को सीएसआर फंड क्यों नहीं मिलता है? आपको यह भी देखना चाहिए। आप चीफ मिनिस्टर को सीएसआर फंड क्यों नहीं देते हैं? उनको भी पैसे की जरूरत होती है। बंगाल के चीफ मिनिस्टर हमारे खिलाफ बहुत पॉलिटिकल अग्रेसन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके अधिकार के लिए उनका समर्थन करता हूँ। उनको जीएसटी दिया जाना चाहिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर जी के लिए सीएसआर फंड की सुविधा मुहैया की जाती है तो उनके लिए भी कराई जानी चाहिए। बंगाल में भी पैसे की जरूरत है। पंजाब को भी दिया जाना चाहिए, सभी को दिया जाना चाहिए। जीएसटी एक Constitutional agreement है। वर्ष 2017 में आपने एक बिल पास कराया था। यह Statutory commitment है। आपको कांस्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन तो मानना ही पड़ेगा। हमारी यही मांग है। आप घुमा-फिराकर कहते हैं कि एक्ट्स ऑफ गॉड, हम जानते हैं कि इस परिस्थिति में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ... (व्यवधान) It was a considered decision that the CSR should not be used to fund Government Schemes. A Government panel had previously advised against allowing CSR contribution to the PMNRF on the grounds that the double benefit of tax exemption would be a regressive incentive. मेरे बहुत सारे साथियों ने इस मुद्दे को उठाया है और मैं भी उठाना चाहता हूँ। The PM CARES fund has received exemption from all provisions of the law meant to regulate foreign donation. Although it does not seem to meet the precondition of being a body established and owned by the Government whose accounts are audited by the C&AG. C&AG हमारा वह इंस्टिट्यूशन है, जिसे हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि हम उसकी अहमियत समझते हैं।

सर, कल इंट्रोडक्शन के समय मैंने दो-तीन मुद्दे छोड़ दिए थे, आज की इस चर्चा के लिए वे भी बहुत अहम हैं। देखिए, the Bill provides certain relaxations on penalty and deadline related to tax compliance in the light of the pandemic in India. It also amends the Income Tax Act, 1961 to provide 100 per cent tax deduction for donation to the PM CARES Fund under Section 80G of the Income Tax Act relating to charity. सवाल इस पर आता है कि आपको पीएमकेयर्स फण्ड के लिए इतनी चिन्ता क्यों करनी पड़ रही है? क्या पीएम इतने चिन्तित हो रहे हैं? PM CARES Fund is a non-transparent fund. यह हमारा आपके खिलाफ इलज़ाम है। PM CARES Fund is a non-transparent fund. RTI applications seeking information

about donation and donor have been rejected. That is why, we are raising various questions. You have given us the opportunity on a golden platter to ask as many questions as possible in regard to the PM CARES Fund.

आप 'विवाद से विश्वास' स्कीम लाए, फिर आपको क्या बोलने की जरूरत है, क्योंकि 'विवाद से विश्वास' स्कीम आप बाजार में लाए हैं, लेकिन इसका कोई फल जिस ढंग से आना चाहिए था, वह अभी तक नहीं आया है।

सर, मैं दो बातें इन लोगों को समझाने के लिए उठाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) ये कहते थे कि हमारे बहुत सारे चैरिटी ट्रस्ट्स थे, जो तरह-तरह से, सत्ता में रहने के लिए हमने अपनी पावर्स का बेजा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, नई दिल्ली की चिट्ठी है। इसमें कॉरपोरेट मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा गया है:

“As you are kindly aware the Prime Minister of India has constituted the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund) with the primary objective of dealing with any emergency situation such as the ones posed by COVID-19 pandemic and to provide relief to the affected. These challenges of gigantic proportion cannot be met without such one of us going beyond the call of duty.”

इसलिए कहते हैं कि चन्दा दो, मतलब कॉरपोरेट मिनिस्ट्री सबसे चन्दा मांगती है। चन्दा मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जितना चन्दा आता है, वह कैसे इस्तेमाल होता है, यह पूछना क्या अन्याय होता है? हमारा सवाल यही है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : जब आप रिलीफ फण्ड का पैसा खर्च नहीं कर सकते तो दूसरा पीएमकेयर्स फण्ड क्यों बनाते हैं? यही हमारा सवाल है। इसलिए, सर, ये तरह-तरह के हमारे सवाल हैं। हम जीएसटी का हिस्सा मांगते हैं, कल आपने कहा था कि हमने डिवोल्यूशन कर दिया है, लेकिन डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I would like to thank all the Members who have participated in the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill which is brought in because we want to replace an Ordinance.

The Members have definitely spoken on the various aspects of the Bill which is being brought in to replace the Ordinance. I thank the 21 Members who have participated in this debate. I am not reading their names for want of time. But I would certainly want to just highlight very quickly the features of this Bill.

We had to come up with an Ordinance because it was COVID-19 time and the Ordinance was largely for extension of various time limits for compliance and deadlines which were on the people and all of which required deferral because कोविड के समय में फाइलिंग करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना – इन सब में चूंकि लॉकडाउन था, लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कानूनन जो तय हो रखी हैं, उन डेट्स को पोस्टपोन करने के लिए ऑर्डिनेंस की आवश्यकता थी और उस ऑर्डिनेंस को अभी रिप्लेस करने के लिए बिल की भी आवश्यकता है।

20.00 hrs

It is because some dates are already part of the Act, कि फलां तारीख के अंदर इसे फाइल करना है, फलां तारीख के अंदर यह फार्म भरवाना है। ये सभी बातें कानून का अंग बन चुकी हैं, इसलिए इन्हें बदलने के लिए आर्डिनेंस के द्वारा, क्योंकि पैनडेमिक सिचुएशन थी, संसद सत्र के लिए इंतजार करना असंभव था और जनता को तुरंत राहत देनी आवश्यक थी, इसलिए आर्डिनेंस लाया गया। उस आर्डिनेंस में ज्यादातर ऐसे डेफरल के लिए, कम्प्लायेंस की डेट पोस्टपोनमेंट करने के लिए और जब समय पर टैक्स नहीं भरा जाता है, तब उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। उस पेनल्टी को वेवर करने का अधिकार किसी अधिकारी का नहीं होता है। यदि कम्प्लायेंस की डेट पोस्टपोन नहीं होती है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट करना भी आवश्यक होता है। चूंकि यह सब एक्ट का पार्ट है, इस चीज को बदलने के लिए आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ी। ज्यादातर अमेंडमेंट क्लाज-2 में, क्लाज-3 में उस समय इसलिए किए गए ताकि पेनल्टी न देनी पड़े। पहले पेनल्टी न देने पर प्रोसीक्यूशन होता था। उस प्रोसीक्यूशन को रोकने के लिए, लेट पेमेंट के लिए भी दंडनीय आरोप लग सकते हैं। उसे डेफर करने के लिए भी आर्डिनेंस की जरूरत पड़ी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जितना भी पोस्टपोनमेंट करना, पेनल्टी वगैरह पर जो असर पड़ता है, उसे स्थगित करने के लिए आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता पड़ी। अब उस आर्डिनेंस को बिल के रूप में अर्लीएस्ट सेशन में लाया गया है।

सुबह कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि आर्डिनेंस के अलावा भी आप इसमें कुछ जोड़ रही हो और चेयर से भी क्लीयरली फाइनल डायरेक्शन भी मिला कि इसमें कोई गलती नहीं है। सिर्फ आर्डिनेंस बिल के रूप में ही लाया जाना है और उसमें कुछ नई चीज नहीं जोड़नी है, ऐसा एक प्रश्न उठाया गया। उसके लिए चेयर से डायरेक्शन आया और उसमें कुछ गलत नहीं है कि आर्डिनेंस के अलावा अन्य विषय भी जोड़कर बिल लाया जा सकता है और ऐसे कुछ विषय जोड़कर बिल लाया गया है। बिल में आर्डिनेंस के अलावा जो भी नया विषय है, उसे क्यों जोड़ा गया और क्या नया है, उसके बारे में मैं संक्षेप में बोलना चाहती हूँ। 'विवाद से विश्वास' आप लोगों को याद होगा, उसकी डेट पहले 31 मार्च थी और उसे बाद में जून तक आर्डिनेंस के द्वारा एक्सटेंड करवाया गया। अब उसे 31 दिसम्बर तक एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके लिए अभी बिल के द्वारा we are also taking the power in case stakeholders want to extend it further क्योंकि पैनडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तो 'विवाद से विश्वास' के लिए डेट 31 दिसम्बर तक इस कानून के द्वारा एक्सटेंड करना चाहते हैं। यदि तब तक पैनडेमिक खत्म नहीं होता, दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर न आना पड़े, इसके लिए हम पावर ले रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो डेट एक्सटेंड की जा सके। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट टैक्सेज में डेट डेफरल कर रहे हैं, उनके कम्प्लायेंस में दिक्कत आ रही है और ऐसे ही कस्टम्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज की भी डेट एक्सटेंड करनी थी। ऑल कम्प्लायेंस आर्डिनेंस के द्वारा 30 जून तक जो समय दिया गया था, अब उसे 30 सितम्बर तक एक्सटेंड करके छोड़ रहे हैं। वह बदलाव भी क्लाज-6 के अमेंडमेंट के

द्वारा इस बिल में लाया जा रहा है। फिर सीजीएसटी एक्ट के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए गए। Why do you need to change the CGST? आप इसमें क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी रिलेटेड कम्प्लायेंसेज में भी जीएसटी काउंसिल की अनुमति लेकर उस कम्प्लायेंस डेट को पोस्टपोन करने का भी प्रोविजन जीएसटी काउंसिल द्वारा लेकर आ रहे हैं।

This is done on the recommendation of the GST Council. क्योंकि जीएसटी काँसिल ने उसे लागू करने के लिए हमें 20 तारीख से अनुमति दी थी, मगर लॉकडाउन एक्चुअली 24 तारीख से ही लागू हुआ, 24 तारीख को एनाउंसमेंट हुआ और यह 25 तारीख से लागू हुआ। हमें 20 तारीख को काँसिल से अनुमति प्राप्त हुई है, क्या उसको मान्यता नहीं दें? इसलिए हम उस लिमिटेड एक्सटेंट तक रिट्रोस्पेक्टिव में उसको ले रहे हैं। काउंसिल से रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेने के लिए सीजीएसटी कानून में इसलिए आवश्यकता पड़ी कि 23rd March was the first day and then, from 25th March, the lockdown started, but the notification came in April. So, to that limited extent, the Council said 'do it from 20th.' We are respecting only that much. मैं इतना स्पष्ट कर दूँ कि इस प्रोविजन से कॉम्पेनसेशन पेमेंट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या आप रिट्रोस्पेक्टिव में गड़बड़ करेंगे? कुछ नहीं। So, this is only for the sake of those date deferrals which we need to do. इस बिल के अमेंडमेंट के क्लॉज-7 में सीजीएसटी एक्ट से संबंधित विषय है। क्लॉज-8 के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले विवाद से विश्वास के बारे में बोला है, वैसे ही सब के विश्वास के लिए जो चलाया था, दिसम्बर, 2019 तक उसकी डेड लाइन थी, हम ने उसको मार्च तक एक्सटेंड करवाया। अभी वह जून तक थी, हम वह बात इसमें डाल रहे हैं। So, we have to include it because it happened during the Session of the Parliament. इसके अलावा आखिर में हम तीन-चार स्टेप्स इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ला रहे हैं। माननीय सदस्य ने आईएफएससी, गिफ्ट सिटी पर भी कमेंट किया है। हम इस देश में गिफ्ट सिटी, एक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्लोबल सेंटर बना रहे हैं, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। इससे इसका मतलब कुछ और नहीं है, मुझे जितना भी कानूनन मालूम है, वह ओरिजनल कानून में और स्वर्गीय माननीय अरुण जेटली जी ने इस सभा में जवाब देते हुए कहा था कि इस देश में इस कानून के द्वारा जब-जब आवश्यकता पड़ती है, तब-तब एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना सकते हैं। It is not as if just one will be there. मगर जो वन अच्छा चल रही है, उसको पुष्टि देना है या नहीं देना है। हम किसी और का छीन कर कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसको निगेटिवली लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं उतना बोल पाऊँ। सिमीलरली, आपको याद होगा, लास्ट ईयर एक गलतफहमी, हां मैं यह भी मानती हूँ कि टैक्सेशन अधिकारीगण का एक गलत इम्प्रेसन मानने को तैयार हूँ। मगर उसमें एकाध लोग कुछ गलती किए होंगे, उसकी वजह से टैक्स टेररिज्म-टैक्स टेररिज्म की फीलिंग हुआ करती थी। प्रधान मंत्री जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए

इसे फेसलेस बनाया, ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, उसमें एक इम्प्रेशन था कि पर्सनली मिलने में कुछ गड़बड़ी हो रही है। शायद एकाध गड़बड़ हुई है, मगर पूरे रेवेन्यू सर्विस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, जो अनावश्यक था, क्योंकि जेन्विनली, सिनसेयर ऑफिशियल्स हैं और वे जान को खतरे में डाल कर काम कर रहे हैं।

सर, कल-परसों की घटना आपके संज्ञान में जरूर होगी, फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूं, इससे पहले एक और ऐसी घटना हुई है, जिसमें गोल्ड स्मगल करने वाले की गाड़ी का पीछा हुआ, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनकी गाड़ी से पांच किलोग्राम गोल्ड निकला। ऐसी एक घटना राजस्थान में हुई और दूसरी घटना केरल में हुई, जहां यह निकला। जब केरल में यह निकला तो उनको धक्का मार कर गाड़ी गिराई, customs officials and DRI officials had to go with multiple bone fractures to the hospital.

जान खतरे में डालकर काम करने वाले अधिकारीगण रेवेन्यू सर्विसेज में हैं। गलतफहमी की वजह से पूरे रेवेन्यू सर्विस को निगेटिवली प्रोजेक्ट किया जाता था। प्रधानमंत्री जी की एडवाइस पर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज फेसलेस स्कीम के तहत 58 हजार टैक्स पेयर्स का पायलट टेस्ट करवाया गया। पायलट टेस्ट सक्सेसफुली होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने उसे पूरे देश में लागू करने के लिए उद्घाटन किया। बाद में कोई और आकर उसे बदल न पाए, इसलिए कानून में ही ऐसा प्रावधान किया जा रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इस देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको कानूनन लाया गया है।

टीडीएस और टीसीएस कलेक्शन इस समय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मन में ऐसा शक था, इसलिए उसका रेट भी 25 परसेंट कम कर रहे हैं। जहाँ सौ रुपए टीसीएस और टीडीएस में पे करना था, उसको 100 से कम करते हुए 75 तक करवाया ताकि किसी को इस पैंडेमिक के समय दुख न हो, इसमें वह भी शामिल है।

एकाध सदस्य ने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात की। जो नया सिस्टम 1 जून से लागू होना था, उसकी घोषणा 2019 के बजट में हुई। उसे अभी अगले साल तक पोस्टपोंड कर रहे हैं। यह सब कानूनन बोला गया, इसलिए अभी पैंडेमिक के संदर्भ में कानूनन बदलाव भी लाना है। इसमें अमेंडमेंट्स के रूप में इतना ही है।

एकाध विषय यह भी आया कि आप एआईआईबी के द्वारा क्यों फण्ड ले रहे हैं, वह चाइनीज है। सॉरी, यह गलतफहमी है। जैसे एडीबी है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, मल्टिलैटरल फण्डिंग इंस्टिट्यूशंस हैं, जिनमें हमारे सब्सक्रिप्शंस भी हैं। इसीलिए चाइनीज फण्ड कहना, सॉरी, यह गलतफहमी है, फंडामेंटली राँग है। उस गलतफहमी

को मन से हटा दीजिए ।

आखिर में, मैं जिस विषय पर आ रही हूँ, उसकी बहुत ही चर्चा हुई है । I want to say this one completely in English क्योंकि मेरे कुलीग माननीय अधीर रंजन चौधरी जी अपने अपोजिशन के स्थान से वे बोल सकते हैं हिमाचल का ... *, he is coming into the Parliament fourth time or fifth time. He may look young. He may have a mind of a young person. But he is a fairly experienced Parliamentarian. I am not saying this just because he is my colleague. Each one of us has reached this august House because of immense work and trial. We have put a lot of efforts to come here. Let us not do anything to undermine one another. We should answer each other's question. If you ask me a question, I should answer you. Similarly, if he asks you a question, you also will have to answer it. You call him '*balak*'. It does not matter whether you call him ... * locally or '*balak*' in a nice Sanskritised way. But he is still an hon. Member of Parliament and he is still my colleague, hon. Minister of State. इसलिए अंडरमाइन नहीं कीजिए । This is the House which has seen eminent people. You have this wonderful picture of Mavlankar there. I thank God every day. Look at my fate. I sit in this House which has seen eminent people. I cannot even list out their names. We are all here because we have some strength. We have tried, we have worked, and we have earned it. You go about saying '*balak*' and ... * ! What is this Adhir Ranjan Chowdhury ji? प्लीज, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर हैं, you represent everybody on the other side of the aisle. ... (*Interruptions*) You will talk. Let me conclude. You give me a lot of respect. I want to pay that respect back to you. You have come there to be the Opposition Party leader of a very old Party of this country.

I have heard Opposition telling us, "Oh, you should have a large heart. You should be able to take a lot of maturity." You were not even seen in some of the movements of the country. If you have come that far, Adhir Ranjan Ji, it is simply great. You have reached there. Look at the seat you are occupying. What an honour it is! From that position, please do not call anybody so, who has reached here purely because of his own efforts.

So, I would appeal to you to honourably tell the Chair to please withdraw that comment from the records. आपकी हिंदी की तरह ही मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। ... (व्यवधान) माननीय स्पीकर जी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। ... (व्यवधान) अधीर रंजन जी, आपको यह शोभा नहीं देता है। ... (व्यवधान) लीडर ऑफ दि अपोज़ीशन को एक मिनिस्टर को ...* कहना शोभा नहीं देता है। ... (व्यवधान) प्लीज़, आप भी उसे हटाने की अपील कीजिए।

Sir, with this, I want to say a few things in English about PM CARES Fund. I would have thought considering that Prime Minister's National Relief Fund has been so strongly supported by everybody there. The Leader of the Congress Party would have given answers to the hon. MoS's words, the questions that he asked. I would actually want you to give answer to those questions. Did the money go to various charity associations or was anybody given the money from there?

Are you asking for transparency? At least for the last 50 years, democracy in India was maturing. I would think democracy in India is in its DNA. From our earlier ancestors, we all have been democratic. Every one of our kings has shown democracy, whether you look at Nalanda, or you look at Kanchi or anywhere else in the South or anywhere else in the West. Democracy was practised in this country from very very ancient times. But in this form, in this Parliament's form, transparency is a virtue and I am glad that you are asking for it.

The Prime Minister, in 1948, thought it fit to appoint the President of the Congress Party as one of the Members of a trust, which, I guess, is an unregistered trust. Till today, you did not bother to ask for it to be registered. I do not understand the reason.

You should have actually asked, oh, we are running this trust; why did we not register it? Register it. No, there was not a single voice in that Party. It took 23 MPs to write a letter now after 50 years. Now, you did not ask for registration.

That is one point on which I wish to say to the Opposition benches that transparency, like charity, should start from home. Get your house in order; register your society. You did not do that. Does keeping only the Congress President permanently show transparency? Jan Sangh was there. ...(व्यवधान) उनके अध्यक्ष को भी डाल देते, ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो जनसंघ के वरिष्ठ नेता को उसमें डाल देते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसमें डाल देते । ...(व्यवधान) कितने सारे वरिष्ठ सोशलिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया जी को उसमें डाल देते । ...(व्यवधान) ट्रांसपेरेंसी यह होती है ।
...(व्यवधान)

Congress Party, keeping just only the Congress President is not transparency ...(Interruptions) One minute, Adhirji, I will patiently hear you. You have to answer us. If you are really keen on getting answers from us, I am giving you answers on every point comparatively.

He asked you some questions. Hon. Member who is my colleague, MoS, has been in this House long, long before even I came to this House. He has been here four times before me. So, do not take him lightly. He asked you questions. I would want you to answer that because that will give more power to your own questions, if you ask me.

You answer yours first before asking questions to us.

Now, I will go to the point on which I will compare as things stand today. As regards registration, PM CARES Fund is registered whereas PM National Relief Fund is not registered.

प्रो. सौगत राय (दमदम): आपने 6 साल में क्यों नहीं किया?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : I am coming to each one. You are always impatient, Prof. Listen to the answer. ...(Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY : You are combating today. ...(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : No combating. You have called me names. You have twisted my statements. You have gone on to give out untruth about me. So, you should have the thick skin to hear this, at least, from a woman. ...(*Interruptions*)

Sir, as regards objectives, if I have to read it, both are similar. I want to give advantage to the PM National Relief Fund as much as I will give advantage to the PM CARES Fund. As regards the PM CARES Fund, the objective is to deal with any kind of emergency or distress situation like the one posed by COVID-19. As regards PM National Relief Fund, the Fund is to be utilized for various schemes announced by the PM. Funds are also utilized for medical assistance, floods, droughts, terrorist violence, etc. In spite of that there was a question, which hon. MoS asked him. There are floods in five-six States of the country, but do not give it away because Jawaharlal Nehru Museum might get less money. Is this true or not? Deny if it is not true, but deny and do not remain quiet as that is unlike the leader of an opposition Party, particularly, that of an old Party and that is not, particularly, if you are asking for transparency. ...(*Interruptions*) Answer his questions or else you cannot have the right to ask questions of us. ...(*Interruptions*) आप जवाब दीजिए, नहीं तो मुझे आपसे प्रश्न नहीं सुनने चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। अनुराग ठाकुर जी ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, अगर उनके जवाब आपसे नहीं मिलते हैं तो आपको पीएमकेयर्स फण्ड के ऊपर एक प्रश्न भी पूछने का अधिकार नहीं है।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अगर कांग्रेस ने गलत किया तो क्या आपको गलत करने का लाइसेंस मिल गया है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Danish ji, hold on. I will give you a lot of answers. ...(*Interruptions*) I am giving you answers. ... (*Interruptions*) I am giving you comparison. I am giving answers for every one of the questions each one of you have raised on PM CARES. ...(*Interruptions*) Do not worry and do not support them. They are in a mess. Do not support them. ...(*Interruptions*)

Prof. Sougata Ray, if I have finished one issue, you will jump to the other. There is a beautiful Tamil saying that you sit on a platform and if somebody questions this, then you will move from this, but I will go to the next one and ask what about that. In English, they say keep changing the goalpost. I have addressed this, go to the next. I have addressed that, go to the third. We know your technique. ...(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): It is shifting the goalpost.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Yeah, you are more refined in English. Right? That is why, very good!

ऑडिट – दोनों का ऑडिट आज एसएआरसी एंड एसोसिएट्स कर रहा है। So, where is your worry about the transparency bit? But you should be worried because after the audit, जैसे, एमओएस ने बताया है कि वेबसाइट पर ऑडिटेड अकाउण्ट डाल रखा है, मगर पीएम नेशनल रिलीफ फंड में पिछले कितने सालों से मीटिंग तक नहीं हुई है? वर्ष 1985 से मीटिंग की एक भी सिटिंग नहीं हुई है। वह पब्लिक फंड है, जरा उनसे भी पूछा कीजिए to please hold the meeting; please put-up the audited accounts; put it on the website; and distribute copies to all the MPs. वह भी कीजिए in the name of transparency.

Next, as regards applicability of RTI, आरटीआई से इतना लगाव है। As regards PM CARES, it is not applicable as it is not a public authority substantially funded by the Government. What is the status of PM National Relief Fund? It is not applicable as it is not a public authority substantially funded by the Government. इन दोनों में स्टेटस ऑन आरटीआई सिमिलर है, मगर आपका गुस्सा आरटीआई से हमारे ऊपर ही लगता है, अपने ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि उधर डर है। आरटीआई से उधर प्रश्न पूछने पर आपको डर लगता है।

23 सिग्नेटरी के लैटर का फेट आपको मालूम ही है। आरटीआई डालेंगे तो क्या होगा, पता नहीं? That is why you are very scared. I can understand that. On an honorary basis, Joint Secretary (Administration) of the PMO used to do it. दोनों का एक ही है। But where is the big difference?

It is in the management. In the management of the PM CARES Fund, Prime Minister is an as ex-officio Member, and like the way. MOS said, every other trustee is there by virtue of the post that they are holding – the Home Minister, the Defence Minister, the Finance Minister and the nominated ex-officio trustees who are eminent persons from science, law, etc. They sit together and take a decision...
(Interruptions) माइलपोस्ट शिफ्ट करने वाले काम को छोड़ दीजिए।

Management and decision making goes on record with regularly held meetings and recorded minutes. What is the management of the PM National Relief Fund? The Management Committee consists of the Prime Minister, the President of the Indian National Congress – only Party. And that only Party's President will be in the Committee and transparency is achieved! इस देश में कितनी पार्टियां हैं, भाई साहब? माननीय स्पीकर जी, हजारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में हैं। सबको लगाइए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही क्या अहमियत है कि वे ही जीवन भर, डायनेस्टी भर वहीं रहेंगे। क्या यह ट्रांसपेरेंसी का नमूना है?

Finally, how was income-tax concession given? Both of them received tax deduction under Section 80G. Donations are eligible for 100 per cent deduction under Section 80G for the PM CARES Fund. Donations are eligible for 100 per cent deduction under Section 80G for the PM National Relief Fund. वह क्यों दर्द नहीं देता है? सिर्फ यह वाला दर्द देता है, क्यों? उसके लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे लिए भी 80जी है, आप बोलिए। इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं, क्योंकि जनता की मेमोरी कम है। वह उसको याद नहीं रखेगी, इसको याद रखेगी, क्योंकि यह गरम-गरम है। नहीं, हम सुनकर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम आपसे पूछेंगे। Income of the fund exempt from Income-Tax Act is equally for the PM National Relief Fund.

आखिर में, जिसके लिए सब के पेट में दर्द होता है, सीएसआर। ... (व्यवधान) CSR Donations by companies classified as CSR for the purposes of the Companies Act, 2013 are applicable to the PM CARES Fund as much as donations by companies classified as CSR for the purposes of the Companies Act, 2013, applicable to the PM National Relief Fund. फिर इतना चिल्लाना क्यों है? It is because, only one

person from the dynasty-led Party finds the place, nobody else. उसको कैसे कवर-अप किया जाए? दूसरे के ऊपर आरोप डालो, दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहो। अब चिल्लाना नहीं होगा। जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता है, तब तक हम से एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आयी, वर्ष 2017 में बिहार में बाढ़ आयी, वर्ष 2017 में साइक्लोन ओखी आया और वर्ष 2019 में साइक्लोन फनी आया।

इन सारी आपदाओं में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से घोषणा की है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों को दो लाख रुपए दिए हैं। आज आप यह बताइए कि वर्ष 2015 से 2019 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी नेशनल रिलीफ फंड से लोगों की मदद की है। आपको उस समय ये सब प्रश्न याद नहीं आए थे, लेकिन आज आपको याद आ रहे हैं। फर्क यह है कि किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा है, क्योंकि देश में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सभी ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से लोगों की मदद की है। अफसोस की बात यह है कि आज आप लोग प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, जिससे न जाने कितने काम हुए हैं, जिससे आपके प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और मोदी जी ने काम किए हैं, आज आप इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं।

आप आज तक अपने-अपने जवाब में यह नहीं बता पाए हैं कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड की स्थापना करने से आपको क्या नया फायदा मिल रहा है, जो आपको प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जो इतने पैसे आ रहे हैं, हम यह चाहते हैं कि इसका दुरुपयोग न हो, हम चाहते हैं कि इसका सदुपयोग हो।...(व्यवधान) आप यह बताइए कि जो 'धमन-1' वेंटिलेटर्स...(व्यवधान) राजकोट, गुजरात के अस्पताल में जो आग लगी थी, इस प्रकार से प्रधानमंत्री केयर्स फंड्स से जो 'धमन-1' वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे, जिसमें लोग आहत हुए थे, उस पर आपने क्या कार्रवाई की है?

तीसरी बात, आप बहुत कह रहे हैं कि आपके सहयोगी मंत्री सम्माननीय अनुराग सिंह जी ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। मैं उन्हीं के एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। आपने बार-बार राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम लिया है। Rajiv Gandhi Foundation's reports are duly audited and filed under statutory returns and all income tax is filed. अब आप यह बताइए कि क्या विवेकानंद फाउंडेशन के रिकार्ड्स फाइल हुए हैं? क्या इंडिया फाउंडेशन के रिकार्ड्स फाइल हुए हैं? आप यह बताइए कि ओवर्सीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, क्या इसके ऊपर आज की तारीख में अमेरिका में जांच हो रही है या नहीं हो रही है? क्या आप इसका उत्तर दे पाएंगे।...

(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, regarding the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, the focus of the reply and the discussion is entirely different from that of the original issues which have been stated regarding the Ordinance and the Bill. I am not going into the controversies. The hon. Finance Minister has just replied.

Yes, I fully agree that Madam has cited the objectives of both Prime Minister National Relief Fund as well as the PMCARES which are the same and the modalities which have been applied are also the same. There is no discrimination between the PMNRF and the PMCARES. The simple question which I would like to raise is, why do we have two organisations, PMCARES and PMNRF?

Secondly, at the time of moving the resolution also, I said, "subject to correction". Madam has corrected me that the Corporate Social Responsibility is applicable to both PMNRF and PMCARES. Okay, I stand corrected.

Another point which I would like to highlight is regarding the Chief Minister's Distress Relief Fund in all the States because the same situation is prevailing in the States also. To address the distress situation and calamities in the States, will these benefits be given or entrusted to CMDRF? Will they also be entitled to avail all these benefits? These are the two questions which still remain unanswered.

I would like to seek these clarifications from the Government. If the hon. Minister responds, I shall be obliged to.

श्री अरविंद सावंत : महोदय, जैसे पीएम केयर्स फंड है, उसी तरह hon. Chief Minister of Maharashtra has created a fund which is Chief Minister Relief Fund – COVID-19. अगर आप उसके लिए भी 80जी की सहूलियत दे दें, तो हम बहुत उपकृत होंगे। मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam Minister, you were talking about transparency. I am offering you a glaring example where transparency has been trampled upon. This year, on 15th September, a question was asked by Shri Narain Dass Gupta. The question reads, “Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state whether the Ministry has received any fund from PM-CARES account towards the fight against corona virus; if so, the procedural details thereof; and if not, the reasons therefor?” जवाब में क्या आया है?

माननीय अध्यक्ष: दूसरे सदन की चर्चा नहीं करते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : इसीलिए हमारा शक होता है कि Transparency has been trampled upon by this Government. Here lies the crux of our questions.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा बहुत छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। अभी पीएम-केयर्स फंड के बारे में चर्चा हुई थी, उस पर कहा गया कि एक पार्टी के सदस्य उसकी मैनेजिंग कमेटी में बैठे हैं। क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस पर क्लैरिफिकेशन देंगी कि क्या इस पर सभी नेशनल पार्टी के सदस्यों को बिठाया जा सके, ताकि वे सुचारू रूप से इसका डिस्कशन कर सकें।

प्रो. सौगत राय: सर, अभी यह खबर है कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 9,677 करोड़ रुपये इकट्ठा हुए हैं। कैसे इकट्ठा हुए हैं – रेलवे ने 151 करोड़ रुपये दिए हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और डिफेंस पीएसयूज़ ने पांच सौ करोड़ रुपये दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष: दे सकते हैं।

प्रो. सौगत राय : It appears that Circulars were issued in various Government Departments asking employees to contribute one-day salary each month or to give their objection in writing. सर, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि अभी 4,308 करोड़ रुपये सरकारी एजेंसीज और स्टाफ ने दिये हैं, इससे माइग्रेंट लेबर के लिए, लॉकडाउन के बाद जो रास्ते पर मरे हैं, कितने रुपये दिए गए हैं और दो हजार करोड़ रुपये आपने वेंटिलेटर के लिए दिए हैं, इसका जवाब क्या है? ... (व्यवधान) चीनी कंपनी के बारे में जो सवाल पूछा गया है, यह सही है कि चीनी कंपनी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, आप बोलना शुरू करें।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदय, अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी और माननीय वित्त मंत्री जी की बातचीत से जो लगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रस्ट – इन दोनों की जो कारगुजारियां हैं, और जो कांग्रेस के समय हुआ है, वह काफी गड़बड़ है। उसके लिए सीएजी ने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई और पीएसी ने, श्री महताब भी उसके सदस्य थे, हम लोगों ने एक रिक्मेंडेशन दिया है कि पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट और ट्रस्ट के ऊपर एक इंक्वायरी सेट-अप करनी चाहिए कि सन् 2014 के पहले किस तरह से उसको एग्जंप्शन दिए गए हैं और किस तरह से उसमें चोरी चकारी हुई। उसमें नेशनल हेराल्ड से ले कर राजीव गांधी फाउंडेशन तक हैं। क्या माननीय मंत्री जी ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट की कारगुजारियों के लिए कोई एक कमेटी बनाएंगी या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाएंगी, जिससे कि जनता का जो पैसा गया है, वह फिर से हम वापस ला पाएं और उसमें कई ट्रस्ट्स ऐसे हैं, बिना आरबीआई और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के जिन्होंने विदेशों में पैसा दिया है। उसके बारे में यदि माननीय मंत्री जी बता देंगी तो अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सभी का उत्तर आप एक साथ दे दीजिए।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): सर, मोटे तौर पर आखिर दो विषयों के ऊपर लगता है कि एक और स्पष्टीकरण देना मुझे आवश्यक है। Why the second one? एक ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, उसको ही आगे बढ़ाते। Why do you want to form a second one? सर,

कंपनीज़ बिल, 2013, मतलब यूपीए-2 के समय पारित हुआ, उसमें ऑरिजिनल शेड्यूल-7 में यह एक सैक्शन-135 के रोमन नंबर 9 में मैं कोट कर रही हूँ।

“Contribution to the Prime Minister’s National Relief Fund or any other fund set up by the Central Government or the State Governments for the socio-economic development and relief and funds for the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and women;”

This was passed in 2013. So, any other fund में फॉर्म करना और उसमें सीएसआर फंड कम्पनीज़ एक्ट के द्वारा आना, तब भी visionary leadership had included it. हमने इन्क्लूड नहीं किया। वह एक बात है।

दूसरा, फरवरी, 2014 में नई सरकार ने नहीं बनाया। चुनाव से पहले तब भी references to State Government funds were deleted at the time of making the amendments to Schedule 7 of the Act. सर, डिलीट करने वाले कौन हैं? स्टेट गवर्नमेंट फंड्स को सीएसआर फंड का बेनिफिट न मिले, ऐसे अमेंडमेंट करने वाले कौन हैं? वही यूपीए-II, आज स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या क्रोकोडाइल टियर्स हो रही है, हटाने वाले कौन हैं?... (व्यवधान) घड़ियाली आंसू।... (व्यवधान) सर, एक और विषय है... (व्यवधान) नहीं, नहीं, बहुत सारे नाम लिए। ये ट्रस्ट, वह फंड, यह फाउंडेशन... (व्यवधान) नहीं, हो गया जी। जवाब देना है, नहीं तो बिना जवाब दिए भाग गए, बोलेंगे ना। इसलिए सटीक जवाब दूंगी।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैडम, चाइनीज फंड के बारे में जरूर बताना।... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming to that point. You do not worry. You have a laundry list of questions to answer, Congress Party. So, do not worry about one question, which I am going to reply now.

Sir, list of foundations, लिस्ट बोल कर इनको कैसे फंड दिया, उनका भी डाल दो, अरे, कंसोलिडेटेड फंड से उनको पैसा नहीं जा रहा। पीएम केयर्स से भी उनको पैसा नहीं जा रहा, एक प्राइवेट फर्म को जहां हम पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उनका क्यों प्रश्न उठा रहे हो। मगर जब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए your deeds demand the question. पीएम नेशनल रिलीफ फंड से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, इसलिए हम मांग रहे हैं कि उसका

एकाउंट दिखाओ। ये जो 10-15 नाम आपने सुनाएं और बीजेपी के ओवरसीज़ फ्रेंड्स वगैरह को पीएम केयर्स से कोई फंड नहीं जाता। आप गलतफहमियाँ न फैलाओ, rumour mongering न करो। You are a responsible political party. आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए rumour mongering के साथ चलना अच्छा नहीं है। मुझे बिल्कुल याद है कि आपने राफेल के समय कितनी rumour mongering की और जनता ने आपको सही मुँह तोड़ जवाब दिया, दोबारा मिलेगा, ऐसा जवाब। धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह सदन की एक गरिमा रही है, जो कुछ भी सदन की कार्यवाही में छोकरा या बालक आया है, मैं उसका संशोधन करके माननीय कर रहा हूँ। क्या सदन इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, माननीय करिए, पूजनीय करिए आपके ऊपर है। आप पूजनीय भी कर सकते हैं, माननीय भी कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, थैंक यू।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, though I have moved the Statutory Resolution, I absolutely agree with the Government because article 123(1) is applicable in promulgation of this Ordinance.

So, I seek the leave of the House to withdraw the Statutory Resolution.

माननीय अध्यक्ष : क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लिया गया

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I withdraw the Statutory Resolution.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों को शिथिल करने और उनके संशोधन का उपबंध करने के लिए और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

-

Clause 3

**Relaxation of certain
provisions of specified Act**

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 18 and 19,--

for “31st day of December, 2020, or such other date after the 31st day of December, 2020”

Substitute “31st day of March, 2021, or such other date after the 31st day of March, 2021”. (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 से 9 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I beg to move:

Page 2, line 20,--

for “specify”

substitute “extend the period”. (7)

Page 3, line 14 to 16,--

substitute “1st day of April, 2019”. (8)

Page 4, line 36,--

for “three-fourth”

substitute “one-fifth”. (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4

**Amendment of Act
43 of 1961**

माननीय अध्यक्ष : श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA : Sir, I beg to move:

Page 20, lines 32 and 33,--

omit “or an Assessing Officer, or a Tax Recovery Officer”. (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 10 से 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 7, line 6,--

for “five years”

substitute “three years”. (10)

Page 7, line 22,--

for “five years”

substitute “three years”. (11)

Page 7, line 28,--

for “three years”

substitute “one year”. (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 से 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

-

Clause 7

**Insertion of new section
168A in Act 12 of 2017**

माननीय अध्यक्ष : श्री रितेश पाण्डेय जी, क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, I beg to move:

Page 37, line 29,--

for “complied with due to *force majeure*”

substitute “complied in good faith due to *vis major*”. (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री रितेश पाण्डेय जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

-

20.48hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

AND

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA* – Contd...